

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2015-2016



भारत सरकार
Government of India



संसदीय कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली
Ministry of Parliamentary Affairs
New Delhi

वार्षिक प्रतिवेदन

2015-2016

.....
हिंदी रूपांतर
.....

विषय वस्तु

पृष्ठ

अध्याय-1	प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना	1-4
	(क) प्रस्तावना	1-2
	(ख) संगठनात्मक संरचना	2-3
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	4
अध्याय-2	संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान	5-8
	(क) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	5
	(ख) सत्र	6-7
	(i) बुलाया जाना	6
	(ii) विशेष बैठक	6
	(iii) सत्रावसान	6-7
	(ग) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सोलहवीं लोक सभा)	7-8
अध्याय-3	राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश	9-16
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	9
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	10
	(ग) अध्यादेश	10-13
	(घ) राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.12.2015 तक प्रख्यापित अध्यादेश	13-16
अध्याय-4	संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण	17-23
	(क) सरकारी कार्य	17
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	17-19
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	19
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	19-20
	(i) विधायी	19
	(ii) वित्तीय	20
	(iii) बजट	20
	(ङ.) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	20-21
	(च) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	21
	(छ) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	21-22
	(ज) अन्य गैर-सरकारी कार्य	22
	(झ) बैठकों की संख्या	22-23

अध्याय-5	गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य	24-31
	(क) लोक सभा	24-25
	(i) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	24-25
	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	25
	(ख) राज्य सभा	26-27
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	26
	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	26-27
	(iii) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा	27
	(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रुख	27-28
	(घ) दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	28-29
	(ङ) दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	29-30
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2015 के दौरान पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	30-31
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प.....	31
अध्याय-6	आश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)	32-37
	(क) सामान्य प्रक्रिया	32-33
	(ख) लोक सभा	33-35
	(ग) राज्य सभा	35-36
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	37
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	37
अध्याय-7	लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख	38-40
	(क) नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले	38
	(ख) नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख.....	38-39
	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई	39
	(घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	39-40

अध्याय-8	परामर्शदात्री समितियां	41-44
अध्याय-9	सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान	45-55
	(क) सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों के विदेश दौरे	45-52
	(ख) विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन	52-54
	(ग) संसदीय शिष्टमंडलों के साथ बैठकें	54-55
	(घ) संसद सदस्यों के विदेश दौरे.....	55
	(ङ.) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	55
	(च) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/ अनापत्ति	55
अध्याय-10	युवा संसद योजना	56-62
	(क) प्रस्तावना	56-57
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता	57
	(i) 50वीं युवा संसद प्रतियोगिता.....	57
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....	57-59
	(i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम.....	57-58
	(ii) 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह.....	58-59
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	59-61
	(i) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम.....	59
	(ii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....	60
	(iii) 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह.....	60
	(ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता.....	61
	(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	61
	(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण	61-62

अध्याय-11	मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	63-66
अध्याय-12	सामान्य	67-79
	(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन.....	67
	(ख) हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन.....	67
	(ग) संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....	67
	(घ) संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते.....	68
	(ङ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....	68
	(च) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन.....	69-72
	(छ) संसद सदस्यों का कल्याण.....	72-73
	(ज) संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था.....	73
	(झ) महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य.....	73
	(ञ) संसद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संपर्क.....	73-75
	(ट) केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम.....	75-76
	(ठ) अनुसंधान कार्य.....	76
	(ड) बजट स्थिति.....	77-78
	(ढ) अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप.....	78
	(ण) ई-ऑफिस एम.एम.पी. का आरंभ.....	78
	(त) आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली.....	78
	(थ) सूचना का अधिकार.....	79

परिशिष्ट

पृष्ठ

परिशिष्ट-1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	80-81
परिशिष्ट-2	दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	82-85
परिशिष्ट-3	लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 237वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित सरकारी विधेयकों की सूची	86-89
परिशिष्ट-4	दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान रेल तथा सामान्य बजट और राज्य बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	90-92
परिशिष्ट-5	मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	93-94
परिशिष्ट-6	दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	95-110
परिशिष्ट-7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश	111-117
परिशिष्ट-8	16वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची	118-119
परिशिष्ट-9	परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	120-125
परिशिष्ट-10	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	126-131
परिशिष्ट-11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	132-133
परिशिष्ट-12	संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	134-139
परिशिष्ट-13	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	140-141

अध्याय-1 प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, सभी मंत्रालयों/विभागों के समय और संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन पर व्यय होता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया और बृहत् जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रुख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारु और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुरःस्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारु रूप से पारित होना सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्तःसत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध 35 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के अन्य देशों के दौरों प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत के दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं जिन्होंने प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला :-


I. मंत्री जिन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला:

1. श्री एम. वेंकैया नायडु, दिनांक 26.05.2014 से आगे
कैबिनेट मंत्री

2. श्री मुख्तार अब्बास नकवी,
राज्य मंत्री
- दिनांक 09.11.2014 से आगे

3. श्री राजीव प्रताप रूडी,
राज्य मंत्री
- दिनांक 09.11.2014 से आगे

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार)



आख्यान

उ.स. - उप सचिव

अ.स. - अवर सचिव

अ.अ. - अनुभाग अधिकारी

स.नि. - सहायक निदेशक

अनु.अ. - अनुसंधान अधिकारी

अनु.- अनुसंधान

प्र. - प्रशासन

वि. - विधायी

यु.सं. - युवा संसद

कार्या.- कार्यान्वयन

हि. - हिंदी

सा. - सामान्य

स. - समिति

सां.प. - सांसद परिलब्धियां

ले.क्र. - लेखा और क्रय

प्रो.क. - प्रोटोकॉल और कल्याण

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान तीन/चार सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा की क्रमशः 72 और 69 बैठकें हुईं।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबिनेट की सिफारिश को राष्ट्रपति को सत्र के आरंभ की तारीख हेतु उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, लोक सभा के तीन और राज्य सभा के चार सत्र बुलाए गए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सोलहवीं लोक सभा			
सत्र	अवधि	बैठक	दिन
चौथा	23 फरवरी, 2015 से 13 मई, 2015	35	80
पांचवां	21 जुलाई, 2015 से 13 अगस्त, 2015	17	24
छठा	26 नवंबर, 2015 से 23 दिसंबर, 2015	20	28
राज्य सभा			
234वां	23 फरवरी, 2015 से 20 मार्च, 2015	19	26
235वां	23 अप्रैल, 2015 से 13 मई, 2015	13	24
236वां	21 जुलाई, 2015 से 13 अगस्त, 2015	17	24
237वां	26 नवंबर, 2015 से 23 दिसंबर, 2015	20	28

(ii) विशेष बैठकें

2.3 सरकार ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयंती समारोह के भाग के रूप में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को "संविधान दिवस" मनाने का निर्णय लिया। तदनुसार, संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र, 2015 के पहले दो दिन "डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयंती समारोह के भाग के रूप में भारत के संविधान के प्रति वचनबद्धता पर चर्चा" के लिए समर्पित किए गए। लोक सभा में यह चर्चा 26 और 27 नवंबर, 2015 को लगभग 14 घंटे तक और राज्य सभा में 27 और 30 नवंबर और 1 दिसंबर, 2015 को लगभग 18.5 घंटे तक की गई। चर्चा की समाप्ति पर दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारियों द्वारा पेश किया गया सांविधिक संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इन दिनों के दौरान, न तो कोई प्रश्नकाल, न शून्य काल हुआ और न ही कोई अन्य सरकारी कार्य निष्पादित किया गया।

(iii) सत्रावसान

2.4 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के

आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

सोलहवीं लोक सभा		
सत्र	तारीख	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	सत्रावसान
चौथा	13 मई, 2015	14 मई, 2015
पांचवां	13 अगस्त, 2015	10 सितंबर, 2015
छठा	23 दिसंबर, 2015	6 जनवरी, 2016
राज्य सभा		
234वां	20 मार्च, 2015	28 मार्च, 2015
235वां	13 मई, 2015	14 मई, 2015
236वां	13 अगस्त, 2015	10 सितंबर, 2015
237वां	23 दिसंबर, 2015	6 जनवरी, 2016

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सोलहवीं लोक सभा)					
लोक सभा	मतदान की अंतिम तारीख	गठन की तारीख	पहली बैठक की तारीख	कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]	भंग होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौवीं	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99

तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.2014		

- *1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।
2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3
राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर जिनका अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 कलैण्डर वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दिनांक 23 फरवरी, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

16वीं लोक सभा का चौथा सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री अनुराग सिंह ठाकुर (प्रस्तावक) श्री निशिकांत दूबे (अनुमोदक)	24, 25, 26 और 27 फरवरी, 2015 (स्वीकृत)
राज्य सभा का 234वां सत्र	
श्री भुपेन्द्र यादव (प्रस्तावक) डॉ. चन्दन मित्रा (अनुमोदक)	25, 26 और 27 फरवरी, 2015 तथा 2 और 3 मार्च, 2015 (स्वीकृत)

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुनः सत्रारम्भ से छः सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छः सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छः सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, 12 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इन अध्यादेशों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक-एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। उनके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद द्वारा अधिनियमों के प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न विवरणों की सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुरःस्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्या 7) (26.12.2015)	23.02.15	23.02.15	02.03.2015 (लो.स.)	03.03.2015 04.03.2015	11.03.2015 20.03.2015	<u>2015 का 11</u> 30.03.2015
2	बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्या 8) (26.12.2015)	23.02.15	23.02.15	03.03.2015 (लो.स.)	04.03.2015	12.03.2015	<u>2015 का 5</u> 20.03.2015
3	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्या 9) (31.12.2014)	23.02.15	23.02.15	24.02.15 (लो.स.)	09.03.15 10.03.15	--	--
4	नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्या 1) (06.01.2015)	23.02.15	23.02.15	27.02.2015 (लो.स.)	02.03.2015	04.03.2015	<u>2015 का 1</u> 10.03.2015
5	मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्या 2) (07.01.2015)	23.02.15	23.02.15	02.03.2015 (लो.स.)	03.03.2015	11.03.2015	<u>2015 का 3</u> 19.03.2015
6	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्या 3) (12.01.2015)	23.02.15	23.02.15	24.02.2015 (लो.स.)	02.03.2015 03.03.2015	10.03.2015 11.03.2015 19.03.2015 20.03.2015	<u>2015 का 10</u> 26.03.2015

7	*भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्या 4) (03.04.2015)	20.04.15	23.04.15	11.05.2015 (लो.स.)	--	--	--
8	**भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्या 5) (30.05.2015)	22.07.15	21.07.15	--	--	--	--
9	परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्या 6) (15.06.2015)	22.07.15	21.07.15	27.07.2015 (लो.स.)	06.08.2015 11.12.2015	07.12.2015	<u>2015 का 26</u> 29.12.2015
10	परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्या 7) (22.09.2015)	30.11.15	02.12.15	अध्यादेश दिनांक 22.09.2015 को दूसरी बार पुनः प्रख्यापित किया गया और दिनांक 27.07.2015 को पुरःस्थापित पहले के विधेयक के माध्यम से संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।			
11	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्या 8) (23.10.2015)	30.11.15	02.12.15	07.12.2015 (लो.स.)	09.12.2015 10.12.2015 16.12.2015	23.12.2015	<u>2016 का 4</u> <u>01.01.2016</u>

12	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2014 का संख्या 9) (23.10.2015)	30.11.15	02.12.15	03.12.2015 (लो.स.)	16.12.2015 17.12.2015	23.12.2015	<u>2016 का 3</u> 01.01.2015
----	---	----------	----------	--------------------	--------------------------	------------	--------------------------------

* यह अध्यादेश दिनांक 03.04.2015 को दूसरी बार पुनः प्रख्यापित किया गया।

** यह अध्यादेश दिनांक 30.05.2015 को तीसरी बार पुनः प्रख्यापित किया गया। अध्यादेश व्यपगत हो गया क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर इसे संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका।

3.8 लोक सभा में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 6 और 12 तथा राज्य सभा में क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 11 और 12 पर उल्लिखित अध्यादेशों के संबंध में अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों को पेश किया गया।

3.9 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.12.2015 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09

1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979: कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)

सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्टूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक: भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्टूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्टूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्टूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 18 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)

सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी, 26 मई, 2014 से आगे)
-----------------	--

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

एक झलक

- वर्ष 2015-16 के लिए बजट (रेल) 26 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) 28 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा छत्तीस विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अतः सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरुआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गईं। ऐसी

एक बैठक 11 फरवरी, 2015 को बजट सत्र से पहले, दूसरी बैठक 9 जुलाई, 2015 को और एक बैठक 6 नवंबर, 2015 को शीतकालीन सत्र से पहले भी आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह तैयार नहीं हैं और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसी दो बैठकें 16 फरवरी, 2015 (बजट सत्र से पहले) और 16 जुलाई, 2015 (मानसून सत्र से पहले) को ली गई। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसी ही एक बैठक शीतकालीन सत्र से पहले 6 नवंबर, 2015 को ली गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए 22 फरवरी, 2015, 20 जुलाई, 2015 और 25 नवंबर, 2015 को संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ बैठकें बुलाई। सरकारी कार्यों का सही आंकलन करने के पश्चात प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्यों का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की समयावधि के दौरान सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूची तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि उन्हें सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सके और वे उन पर चर्चा के लिए भाग लेने की तैयारी कर सकें।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों में 11 वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी समायोजन किया जा सके। वस्तुतः ऐसे समायोजन दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा के लिए 83 और राज्य सभा के लिए 82 सरकारी कार्य की सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गईं।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 127 मदों (लोक सभा - 55, राज्य सभा - 72) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। शासकीय दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उसे सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और गुप्तों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 सोलहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र तथा राज्य सभा के 233वें सत्र की समाप्ति पर कुल 66 विधेयक (लोक सभा में 9 विधेयक और राज्य सभा में 57 विधेयक) लंबित थे। 47 विधेयक (लोक सभा में 44 विधेयक तथा राज्य सभा में 3 विधेयक) पुरःस्थापित किए गए, इस प्रकार कुल लंबित विधेयक 113 हो गए। दोनों सदनों द्वारा 35 विधेयक पारित किए गए (**परिशिष्ट-2**)। लोक सभा में दो विधेयक अर्थात् (i) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014 और (ii) निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक, 2015 वापस लिए गए तथा राज्य सभा में दस विधेयक अर्थात् (i) बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008, (ii) सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011, (iii) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013, (iv) कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014, (v) परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015, (vi) राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009, (vii) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2014, (viii) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015, (ix) परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1992 और (x) भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2012 वापस लिए गए। एक विधेयक अर्थात् चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015 को संविधान के अनुच्छेद 109(5) की शर्तों के अनुसार दोनों सदनों से पारित मान लिया गया। सोलहवीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 237वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 65 विधेयक (लोक सभा में 11 विधेयक और राज्य सभा में 54 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। केन्द्र सरकार का बजट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है-रेल और सामान्य। रेल बजट सामान्य बजट से दो से तीन दिन पहले पेश किया जाता है, जो सामान्यतः फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों का राज्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब रेल मंत्री तथा वित्त मंत्री अपने बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यतः लोक सभा में मंत्रियों के भाषणों की समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें निर्देशित विधेयकों, मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और सदनों को प्रस्तुत दीर्घकालीन मूल नीति संबंधी दस्तावेजों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कागजातों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, रेल बजट और सामान्य बजट पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-4)।

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवतः ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्र के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण,

ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-5)।

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.13 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
1.	विधायी	83	27	37	31	41.89	30.38
2.	वित्तीय	77	59	30	18	39.15	24.54
3.	गैर-वित्तीय	37	46	55	40	18.96	45.08

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.14 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के दृश्यों के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	कुल समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
चौथा (16वीं लोक सभा)	243	36	06	54	3.28%
पांचवां (16वीं लोक सभा)	47	10	34	32	33.56%
छठा (16वीं लोक सभा)	116	56	08	38	12.06%
कुल	407	42	50	04	11.59%

राज्य सभा					
234वां	108	37	04	21	3.81%
235वां	72	18	14	07	18.10%
236वां	09	10	72	07	70.70%
237वां	58	07	51	33	42.96%
कुल	248	12	142	08	34.33%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 3 और राज्य सभा में 6 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 3 और राज्य सभा में 6 आधे घंटे की चर्चाएं हुई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या (वर्ष 1952 से 2015 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61

1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	73	73	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	35

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घण्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढाई घण्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गईं:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	देश में कृषि संबंधी स्थिति। (श्री पी. करुणाकरन)	कृषि	18.03.2015 19.03.2015 20.03.2015 20.04.2015	13	- 16
2	सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक')	नीति आयोग	13.05.2015 05.08.2015 06.08.2015 07.08.2015 10.08.2015 11.08.2015	1	- 46 (आंशिक चर्चा हुई)
3	इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) विवाद से उत्पन्न मामले और अन्य संबंधित मुद्दे। (श्री अर्जुन राम मेघवाल)	युवा कार्य और खेल	11.08.2015	0	- 02 (आंशिक चर्चा हुई)

4	देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति। (श्री मोहम्मद सलीम)	गृह	30.11.2015 01.12.2015	7 - 56
5	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति। (डॉ. पी. वेणुगोपाल)	गृह	02.12.2015 03.12.2015	3 - 51
6	देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की स्थिति। (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया)	कृषि	07.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 11.12.2015	7 - 35
7	मूल्य वृद्धि। (श्री पी. करुणाकरन)	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	17.12.2015 22.12.2015	1 - 47 (आंशिक चर्चा हुई)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:-

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	देश में हानिकारक कीटनाशकों, विशेष रूप से एंडोसल्फान के उपयोग और मानव जीवन पर उनके प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पन्न स्थिति। (श्री पी. करुणाकरन)	कृषि	17.03.2015	0	16
2	कुरुक्षेत्र, हरियाणा के ज्योतिसर में मौजूद सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राचीन बरगद के पेड़ों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करने की जरूरत। (श्री रतन लाल कटारिया)	संस्कृति	19.03.2015	0	07
3	कर्नाटक में सूखे और बाढ़ की हालत से उत्पन्न स्थिति जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। (श्री बी.एस. येदियुरप्पा)	कृषि	03.08.2015	0	21

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	देश के विभिन्न भागों में हाल की बारिश के कारण किसानों द्वारा उठाई गई हानि। (प्रो. राम गोपाल यादव)	कृषि	03.03.2015 04.03.2015	2	- 13
2.	देश में किसानों को पेश आ रही विभिन्न समस्याएं। (श्री के.सी. त्यागी)	वित्त	19.03.2015	0	- 44
3.	देश के विभिन्न भागों में कृषि संबंधी संकट और किसानों द्वारा आत्महत्या। (श्री गुलाम नबी आज़ाद)	कृषि	23.04.2015 24.06.2015 27.04.2015	10	- 44
4.	तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उत्तर-पश्चिमी मानसून की बारिश और बाढ़ के कारण हुआ नुकसान। (श्रीमती कानीमोड़ी)	गृह	02.12.2015 03.12.2015	4	- 31
5.	नेपाल में हालात और भारत-नेपाल संबंधों की स्थिति। (श्री पवन कुमार वर्मा)	विदेश	07.12.2015	2	- 58
6.	देश में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न गंभीर स्थिति। (श्री के.सी. त्यागी)	कृषि	21.12.2015	3	- 12 (आंशिक चर्चा हुई)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:-

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	रबर की कीमत में गिरावट के कारण रबर किसानों की दुर्दशा। (श्री पी. राजीव)	वाणिज्य और उद्योग	12.03.2015	1	- 26
2	प्रॉक्सी मतदान या ई-डाक मतपत्र के माध्यम से देश में भविष्य के चुनावों में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा मतदान को सरल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल और उसमें निहित जोखिम। (श्री गुलाम नबी आज़ाद)	विधि और न्याय	28.04.2015	1	- 21

3	आंध्र प्रदेश के जंगलों में आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा तमिलनाडु के बीस लकड़हारों के मारे जाने से उत्पन्न स्थिति। (श्री डी. राजा)	गृह	30.04.2015	1 - 11
4	देश में नेट निरपेक्षता की सुरक्षा का मुद्दा (श्री डेरेक ओ. ब्राईन)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	05.05.2015	1 - 13
5	देश में एयरलाइनों के हवाई किराए में भारी असमानता से उत्पन्न स्थिति और सरकार की प्रतिक्रिया। (श्री नरेश अग्रवाल)	नागर विमानन	07.05.2015	1 - 18
6	नेपाल में हालात और भारत-नेपाल संबंधों की स्थिति। (श्री पवन कुमार वर्मा)	विदेश	03.12.2015	0 - 27

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट
1	12 और 13 अगस्त, 2014 को आयोजित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा का उत्तर।	17.03.2015	01	01
2	विधि और न्याय	29.04.2015 30.04.2015	04	57
3	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	05.05.2015	01	49

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रुख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रुख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रुख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 21.01.2015, 27.03.2015, 07.04.2015, 07.05.2015, 13.05.2015, 24.06.2015, 13.08.2015, 21.10.2015, 09.11.2015 और 06.01.2016 को दस बैठकें आयोजित की। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 21 जनवरी, 2015, 24 जून, 2015 और 9 नवंबर, 2015 को आयोजित अपनी बैठकों में वर्ष 2015 के लिए क्रमशः बजट, मानसून और शीतकालीन सत्रों को बुलाने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 27 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में इस बात पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया कि राज्य सभा, जिसे इसके 234वें सत्र के पहले भाग के बाद 20 मार्च, 2015 को स्थगित कर दिया गया था, का सत्रावसान कर दिया जाए। समिति ने अपनी 7 अप्रैल, 2015 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य सभा को गुरुवार, 23 अप्रैल, 2015 से इसके 235वें सत्र के लिए बुलाया जाए। समिति ने अपनी 7 मई, 2015 को हुई बैठक में आवश्यक सरकारी कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से बजट सत्र के दूसरे भाग में लोक सभा की बैठकों को 13 मई, 2015 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया था। समिति ने अपनी 13 मई और 13 अगस्त, 2015 को आयोजित बैठकों में (i) दोनों सदनों का उनके अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के पश्चात सत्रावसान करने और (ii) संसदीय कार्य मंत्री को प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, उनके द्वारा अनुमोदित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों (लोक सभा में 13 और राज्य सभा में 13) और संकल्पों (लोक सभा में 10 और राज्य सभा में 5) का विरोध किए जाने अथवा संबंधित सदस्यों से विधेयकों/संकल्पों को वापस लेने हेतु अनुरोध करने के लिए सरकार के रूख के मामलों का अनुसमर्थन करने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। 23 दिसंबर, 2015 को संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए जाने के पश्चात उनका सत्रावसान करने के लिए 6 जनवरी, 2016 को संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

5.5 दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के तीन सौ सैंतीस विधेयक (291 विधेयक लोक सभा में और 46 विधेयक राज्य सभा में) पुरःस्थापित किए गए (परिशिष्ट-6)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम	चर्चा की तारीख (तारीखें)	परिणाम
1.	वरिष्ठ नागरिक (जरारोग और डिमेंशिया देख-रेख का उपबंध) विधेयक, 2014 (श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य)	12.12.2014 27.02.2015 13.03.2015	वापस लिया गया
2.	अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 (श्री जनार्दन सिंह 'सिग्गीवाल', संसद सदस्य)	13.03.2015 24.04.2015	चर्चा पूरी नहीं हुई।

		08.05.2015 07.08.2015 04.12.2015 18.12.2015	
राज्य सभा			
1.	भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (श्री के.एन. बालगोपाल, संसद सदस्य)	12.12.2014 27.02.2015	वापस लिया गया
2.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014 (श्री शान्ताराम नायक, संसद सदस्य)	27.02.2015	वापस लिया गया
3.	विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 (श्री तिरुची शिवा, संसद सदस्य)	27.02.2015 13.03.2015 24.04.2015	पारित किया गया
4.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (श्री विशंभर प्रसाद निषाद, संसद सदस्य)	24.04.2015 04.12.2015	चर्चा को स्थगित कर दिया गया।
5.	अनाथ (सरकारी स्थापन में पदों का आरक्षण) विधेयक, 2012 (श्री अविनाश राय खन्ना, संसद सदस्य)	24.04.2015	वापस लिया गया
6.	भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (श्री अविनाश पाण्डे, संसद सदस्य)	24.04.2015 04.12.2015	वापस लिया गया

दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम	चर्चा की तारीख (तारीखें)	परिणाम
1.	श्री सी.आर. पाटील, संसद सदस्य द्वारा भारत को आधुनिक देश बनाने तथा 'भारत में बनाओ' लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में योगदान करने हेतु युवाओं को समर्थ बनाने के लिए उनके बीच तकनीकी कौशल विकास की योजना।	19.12.2014 20.03.2015	वापस लिया गया
2.	श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	20.03.2015 08.05.2015 11.12.2015	संकल्प स्वीकृत किया गया।
3.	श्री एन.के. रामचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कदम।	11.12.2015	चर्चा पूरी नहीं हुई।

राज्य सभा			
1.	श्री भुपिन्द्र सिंह, संसद सदस्य द्वारा देश में और विशेष रूप से ओडिशा राज्य में लंबे समय से लंबित रेल परियोजनाओं के संबंध में गहरी चिंता।	30.04.2015	वापस लिया गया
2.	प्रो. एम.वी. राजीव गौडा, संसद सदस्य द्वारा निर्वाचन व्यवस्था की अधिकतम सीमा को समाप्त करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करना।	30.04.2015	चर्चा पूरी नहीं हुई।

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2015 के दौरान पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक		
क्र.सं.	विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक	अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	<u>1954 का 29</u> 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	<u>1956 का 17</u> 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	<u>1956 का 24</u> 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	<u>1956 का 39</u> 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	<u>1956 का 105</u> 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	<u>1960 का 56</u> 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	<u>1964 का 26</u> 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	<u>1964 का 44</u> 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	<u>1970 का 28</u> 09.08.1970
(ख) राज्य सभा में पुरःस्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	<u>1956 का 70</u> 15.12.1956

11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	<u>1956 का 73</u> 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	<u>1960 का 10</u> 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	<u>1963 का 11</u> 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	<u>1969 का 36</u> 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	श्री प्रहलाद सिंह द्वारा पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए।	10.4.2003
2.	श्री निशिकांत दुबे द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	11.12.2015

आश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रियों द्वारा लोक सभा में 1185 आश्वासन और राज्य सभा में 904 आश्वासन दिए गए।
- लोक सभा में दिए गए 1461 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 908 आश्वासन, जोकि प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 42 आश्वासन और राज्य सभा में 80 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी आश्वासन दे देते हैं कि इन मामलों पर उचित कार्रवाई की जाएगी अथवा अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होता है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढ़ाए जाने अथवा आश्वासन को छोड़ने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भी भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में रखी जाती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दे दी जाती है।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 1185 आश्वासन दिए गए थे जिनमें से 236 सभा-पटल पर रखे गए, 24 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा छोड़ दिए गए और शेष 925 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 1503 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (42 आंशिक सहित), को सभा पटल पर रखा गया। इसी प्रकार राज्य सभा में दिये गये 904 आश्वासनों में से 175 सभा-पटल पर रखे गए, 87 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया तथा शेष 642 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 988 आश्वासनों के कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (80 आंशिक सहित), को सभा-पटल पर रखा गया। वर्ष 1956 से 2015 के दौरान दिये गए/पूरे किए गए/छोड़े गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष रहे आश्वासनों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	1543	1543	-	1543	-	100
1957	893	893	-	893	-	100
1958	1324	1324	-	1324	-	100
1959	1138	1138	-	1138	-	100
1960	1000	1000	-	1000	-	100
1961	1244	1244	-	1244	-	100
1962	1333	1333	-	1333	-	100
1963	781	781	-	781	-	100
1964	883	883	-	883	-	100
1965	1073	1073	-	1073	-	100
1966	1542	1542	-	1542	-	100
1967	2116	2116	-	2116	-	100
1968	4174	4174	-	4174	-	100
1969	4260	4260	-	4260	-	100
1970	3331	3331	-	3331	-	100
1971	1824	1824	-	1824	-	100
1972	1577	1577	-	1577	-	100

1973	1757	1757	-	1757	-	100
1974	1789	1789	-	1789	-	100
1975	925	925	-	925	-	100
1976	521	521	-	521	-	100
1977	889	889	-	889	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	1069	1069	-	1069	-	100
1980	1105	1105	-	1105	-	100
1981	1587	1587	-	1587	-	100
1982	1541	1541	-	1541	-	100
1983	1726	1726	-	1726	-	100
1984	1284	1284	-	1284	-	100
1985	783	783	-	783	-	100
1986	1098	1098	-	1098	-	100
1987	2616	2616	-	2616	-	100
1988	1171	1171	-	1171	-	100
1989	1867	1867	-	1867	-	100
1990	2396	2396	-	2396	-	100
1991	1674	1674	-	1674	-	100
1992	2195	2195	-	2195	-	100
1993	1759	1759	-	1759	-	100
1994	2524	2524	-	2524	-	100
1995	1465	1464	-	1464	1	99.93
1996	700	700	-	700	-	100
1997	2093	2093	-	2093	-	100
1998	1127	1127	-	1127	-	100
1999	749	745	-	745	4	99.47
2000	1720	1715	-	1715	5	99.71
2001	1528	1525	-	1525	3	99.8
2002	1507	1498	-	1498	9	99.4
2003	1408	1397	1	1398	10	99.29
2004	907	892	1	893	14	98.46
2005	1733	1704	3	1707	26	98.5
2006	1073	1043	-	1043	30	97.2
2007	1282	1246	7	1253	29	97.74
2008	1111	1068	6	1074	37	96.67
2009	1313	1234	5	1239	74	94.36
2010	1595	1432	7	1439	156	90.22

2011	1872	1586	11	1597	275	85.31
2012	1937	1573	12	1585	352	81.83
2013	1355	1039	11	1050	305	77.49
2014	1456	744	6	750	706	51.51
2015	1185	236	24	260	925	21.94
	93083	90028	94	90122	2961	96.82

राज्य सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	373	373	-	373	-	100
1957	238	238	-	238	-	100
1958	287	287	-	287	-	100
1959	235	235	-	235	-	100
1960	233	233	-	233	-	100
1961	257	257	-	257	-	100
1962	479	479	-	479	-	100
1963	218	218	-	218	-	100
1964	349	349	-	349	-	100
1965	1342	1342	-	1342	-	100
1966	436	436	-	436	-	100
1967	495	495	-	495	-	100
1968	827	827	-	827	-	100
1969	1104	1104	-	1104	-	100
1970	591	591	-	591	-	100
1971	447	447	-	447	-	100
1972	832	832	-	832	-	100
1973	1009	1009	-	1009	-	100
1974	724	724	-	724	-	100
1975	384	384	-	384	-	100
1976	781	781	-	781	-	100
1977	1117	1117	-	1117	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	748	748	-	748	-	100
1980	1391	1391	-	1391	-	100
1981	1688	1688	-	1688	-	100
1982	1466	1466	-	1466	-	100

1983	1472	1472	-	1472	-	100
1984	1082	1082	-	1082	-	100
1985	1315	1315	-	1315	-	100
1986	1295	1295	-	1295	-	100
1987	1810	1810	-	1810	-	100
1988	1705	1705	-	1705	-	100
1989	1420	1420	-	1420	-	100
1990	1642	1642	-	1642	-	100
1991	1678	1678	-	1678	-	100
1992	2052	2052	-	2052	-	100
1993	1544	1544	-	1544	-	100
1994	1261	1261	-	1261	-	100
1995	740	740	-	740	-	100
1996	672	672	-	672	-	100
1997	906	905	-	905	1	99.89
1998	232	230	-	230	2	99.14
1999	261	258	-	258	3	98.85
2000	706	701	-	701	5	99.29
2001	382	381	-	381	1	99.74
2002	677	670	-	670	7	98.97
2003	843	832	1	833	10	98.81
2004	544	531	1	532	12	97.79
2005	1156	1123	1	1124	32	97.23
2006	858	832	1	833	25	97.09
2007	976	944	1	945	31	96.82
2008	678	649	1	650	28	95.87
2009	995	940	2	942	53	94.67
2010	1082	984	4	988	94	91.31
2011	1002	894	2	896	106	89.42
2012	1113	920	12	932	181	83.74
2013	688	519	5	524	164	76.16
2014	1188	665	10	675	513	56.82
2015	904	175	87	262	642	28.98
	54585	52547	128	52675	1910	96.50

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए सभी आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को याद दिलाते हुए आश्वासनों की आवधिक समीक्षा की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान के परिणाम के रूप में, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां प्रतिवेदन दिनांक 30.04.2015 को, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां प्रतिवेदन दिनांक 23.07.2015 को, 18वां, 19वां, 20वां और 21वां प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2015 को तथा 22वां, 23वां, 24वां, 25वां और 26वां प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2015 को लोक सभा को प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 69वां प्रतिवेदन दिनांक 17.12.2015 को राज्य सभा को प्रस्तुत किया।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए 535 मामले और राज्य सभा में किए गए 414 विशेष उल्लेख उत्तर के लिए लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 1017 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 347 विशेष उल्लेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 1552 मामलों में से 449 मामलों के उत्तर दिए जा चुके हैं और 1103 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 761 विशेष उल्लेखों में से 197 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 564 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों के लिए इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रपत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यतः सात से अधिक नहीं होनी

चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विशेष उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यतः जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 वर्ष 2014 की समाप्ति पर लोक सभा में 535 मामले तथा राज्य सभा में 414 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान लोक सभा में 1017 मामले और राज्य सभा में 347 मामले उठाए गए, जिससे कि लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों की कुल संख्या 1552 तथा राज्य सभा में किए गए विशेष उल्लेखों की कुल संख्या 761 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2015 तक लोक सभा में 449 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 1103 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, दिनांक 31.12.2015 तक 197 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 564 मामले अभी भी लंबित हैं। संसद के दोनों सदनों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मंत्री के स्तर से अनुस्मारक भेजे गए।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात् तथाकथित शून्य काल के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानतः उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.9.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

7.6 दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 2151 मामले (लोक सभा: 1949 और राज्य सभा: 202) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 37 मामले (लोक सभा: 21, राज्य सभा: 16) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 35 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 115 बैठकें आयोजित हुईं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा में उद्गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गईं।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए थे तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी, और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं (परिशिष्ट-7)।

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:-

- i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

- ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।
- iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।
- iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यतः तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।
- v) सदस्यों को एक परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है, यदि उसे किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रुचि है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।
- vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंतःसत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंतःसत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य होगी।
- vii) कार्यसूची मर्दे या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।
- viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।
- ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।
- x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और किसी भी अपेक्षित स्पष्टीकरण को देने हेतु बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

x) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यतः लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। सोलहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 35 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं (परिशिष्ट-8)।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय **परिशिष्ट-9** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अतःसत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गईं:-

क्र.सं.	मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति का नाम	बैठक की तारीख और स्थान
1.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	04.01.2015 को बांदीपुर, कर्नाटक
2.	वस्त्र मंत्रालय	09.02.2015 को मैसूर, कर्नाटक
3.	पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय	9-10 फरवरी, 2015 को कच्छ, गुजरात
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	12-13 फरवरी, 2015 को गुवाहटी, असम
5.	इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय	07.07.2015 को बेंगलूरु, कर्नाटक
6.	रेल मंत्रालय	09.07.2015 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
7.	गृह मंत्रालय	13.07.2015 को गोवा
8.	जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	31.08.2015 को खजुराहो, मध्य प्रदेश
9.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	10.09.2015 को मुंबई, महाराष्ट्र
10.	रक्षा मंत्रालय	20.09.2015 को गोवा
11.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	21.09.2015 को मुंबई, महाराष्ट्र
12.	नागर विमानन मंत्रालय	09.10.2015 को भुवनेश्वर, ओडिशा

13.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	06.11.2015 को देहरादून, उत्तराखंड
14.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	06.11.2015 को गोवा
15.	कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय	06.11.2015 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश
16.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	18.11.2015 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

अध्याय-9

सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

एक झलक

- संसदविदों के एक भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया।
- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों के लिए 24 संसद सदस्यों को नामांकित किया।

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए निःसंदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निःसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अतः संसद सदस्यों तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय मिशनों के परामर्श से और प्रधानमंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि 24 मई, 2015 से 4 जून, 2015 के दौरान (यात्रा समय सहित) आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संसदविदों का एक सद्भावना शिष्टमंडल भेजा जाए। शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:-

- | | |
|---|-------------------|
| 1. श्री राजीव प्रताप रूडी,
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | शिष्टमंडल के नेता |
| 2. श्री अविनाश राय खन्ना, संसद सदस्य (राज्य सभा) | भा.ज.पा. |
| 3. श्री अरविंद कुमार सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) | स.पा. |
| 4. श्री शिवाजी अधलराव पाटील, संसद सदस्य (लोक सभा) | शिव सेना |

5. डा. पोन्नूसामी वेणुगोपाल, संसद सदस्य (लोक सभा)	अ.भा.अ.द्र.मु.क.
6. श्री अली अनवर अंसारी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	ज.द.(यू.)
7. श्रीमती झरना दास बैद्य, संसद सदस्य (राज्य सभा)	भा.क.पा.(मार्क.)
8. श्री दिलीप कुमार तिकी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	बी.ज.द.
9. श्री प्रसून बनर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा)	अ.भा.तृ.कां.
10. श्री वेंकट नरसिम्हन थोटा, संसद सदस्य (लोक सभा)	ते.दे.पा.

संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए थे:-

1. श्री अफज़ल अमानुल्लाह, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
2. श्री जगदीश कुमार, अवर सचिव (प्रो.क.), संसदीय कार्य मंत्रालय
3. श्री राजेश कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी (प्रो.क.), संसदीय कार्य मंत्रालय
4. श्री यशपाल, सहायक (प्रोटोकॉल और कल्याण), संसदीय कार्य मंत्रालय

25.05.2015 से 31.05.2015 के दौरान आस्ट्रेलिया का दौरा

9.3 सुश्री मनिका जैन, महावाणिज्य दूत ने मेलबर्न एयरपोर्ट पर 25.05.2015 को प्रातः 6.00 बजे शिष्टमंडल का स्वागत किया।

9.4 भारतीय सांसदों का सद्भावना शिष्टमंडल दिनांक 25.05.2015 को मेलबर्न पहुंचा। राज्यमंत्री ने ऑटोमोटिव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीई), कंगन इंस्टीट्यूट और विलियम एंगलिस इंस्टीट्यूट का दौरा किया। भारत के महावाणिज्य दूत, मेलबर्न की ओर से एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें शिष्टमंडल ने विक्टोरिया राज्य से चयनित गण्यमान्य व्यक्तियों और भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ परस्पर संवाद किया। दिनांक 26.05.2015 को शिष्टमंडल ने विक्टोरिया के संसद भवन का दौरा किया और **माननीय टेलमो लांग्यूलर, विधानसभा अध्यक्ष** से मुलाकात की तथा सदस्यों ने संसदीय पद्धतियों/प्रक्रियाओं, देश में चुनाव आदि की प्रणाली सहित विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। देश के संसद भवन के दौरे के पश्चात, शिष्टमंडल दोपहर के भोजन में शामिल हुआ जिसकी मेजबानी **माननीय टेलमो लांग्यूलर, विधानसभा अध्यक्ष और माननीय ब्रूस एरकिन्सन, विधान परिषद के अध्यक्ष** द्वारा की गई। दोपहर के भोजन के दौरान, सदस्यों ने उपस्थित स्थानीय संसद सदस्यों से द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। अपनी आरंभिक टिप्पणी में, अध्यक्ष ने भारतीय पक्ष को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत के साथ शिक्षा, अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, औद्योगिक संसाधनों, क्रिकेट और लोगों के आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंध मजबूत रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच शिक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं मौजूद रही हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई समाज के लिए भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। अपने

संबोधन में राज्य मंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भारतीय शिष्टमंडल की मेजबानी करने के लिए अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति को धन्यवाद दिया। दोतरफा व्यापार का जिक्र करते हुए, राज्य मंत्री ने दोनों पक्षों से व्यापार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए व्यापार असंतुलन को कम करने का आग्रह किया। राज्य मंत्री ने समावेशी आर्थिक वृद्धि और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, बहु-लेन एक्सप्रेसवे और देशभर में स्मार्ट शहरों के निर्माण जैसे विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में बात की। एक सवाल के जवाब में राज्यमंत्री ने बताया कि भारत में पिछले आम चुनाव के दौरान औसत मतदान लगभग 55-60% तक और भारत के कुछ राज्यों में इससे भी अधिक रहा था। दोपहर के भोजन के उपरांत, शिष्टमंडल को ऐतिहासिक मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) ले जाया गया। बाद में, राज्य मंत्री संसद भवन गए और विक्टोरिया के माननीय प्रधानमंत्री डैनियल एंड्रयूज से मुलाकात की और द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा और विचारों का आदान-प्रदान किया।



[26.05.2015 को शिष्टमंडल ने विक्टोरिया के संसद भवन (मेलबर्न) का दौरा किया और माननीय टेलमो लांग्यूलर, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की]

9.5 भारतीय समुदाय ने दिनांक 26.05.2015 को दौरे पर आए शिष्टमंडल के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्य मंत्री और शिष्टमंडल के सदस्यों के साथ उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शिष्टमंडल दिनांक 27.05.2015 को कैनबरा के लिए रवाना हो गया।

9.6 भारतीय सांसदों के सद्भावना शिष्टमंडल ने 27-28 मई, 2015 के दौरान कैनबरा का दौरा किया। दिनांक 27.05.2015 को कैनबरा पहुंचने पर शिष्टमंडल संसद भवन गया जहां श्री झी गफ, दौरा अधिकारी ने शिष्टमंडल का स्वागत किया। शिष्टमंडल ने माननीय ब्रॉनविन बिशप, संसद

सदस्य और हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से अध्यक्ष के कक्ष में मुलाकात की। चर्चा के दौरान, व्यापार और ऊर्जा के लिए भारत को यूरेनियम की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। तत्पश्चात, शिष्टमंडल ने सीनेटर स्टीफन पैरी, सीनेट के अध्यक्ष से उनके कक्ष में मुलाकात की और संसदीय पद्धतियों/प्रक्रियाओं, देश के चुनाव प्रणाली आदि सहित विभिन्न मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। सदस्यों ने आस्ट्रेलिया में चुनाव प्रणाली के बारे में पूछा। इसके जवाब में सीनेट के अध्यक्ष ने बताया कि दोनों सदनों के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और चुनाव प्रणाली में कोई आरक्षण नहीं है। इसके अलावा, वर्ष 2004 के बाद से पूर्व सांसदों को पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राज्यमंत्री ने सीनेटर माननीय साइमन बीर्मीघम, शिक्षा और प्रशिक्षण के सहायक मंत्री (राज्यमंत्री रैंक), जिनके पास कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की विशेष जिम्मेदारियां हैं, से भी मुलाकात की तथा कौशल विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बाद में श्री एलेक्स हॉक, सांसद ने शिष्टमंडल के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की जहां ऑस्ट्रेलिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्य भी मौजूद थे। दोपहर के भोजन के दौरान, दोनों पक्षों के सदस्यों ने व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। राज्य मंत्री ने समावेशी आर्थिक वृद्धि और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, बहु-लेन एक्सप्रेस वे और देशभर में स्मार्ट शहरों के निर्माण जैसे विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में बात की। राज्यमंत्री ने **माननीय जूली बिशप, सांसद, विदेश मंत्री और माननीय क्रिस्टोफर पाइन, सांसद, शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्री** से संसद भवन में मुलाकात की और आपसी हित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उसके बाद, शिष्टमंडल को प्रभावशाली युद्ध स्मारक ले जाया गया जहां राज्य मंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। फेड्रेशन ऑफ इंडियन एसोशिएसन ऑफ एसीटी इंक (एफआईएनएसीटी) ने दौरे पर गए शिष्टमंडल के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की जहां आस्ट्रेलिया और भारत दोनों पक्षों के सदस्यगण उपस्थित थे। राज्यमंत्री ने शिष्टमंडल के लिए रात्रिभोज की मेजबानी करने और उन्हें परस्पर संवाद करने का अवसर देने के लिए एफआईएनएसीटी का धन्यवाद किया। राज्यमंत्री ने इस बात को दोहराया कि दोनों देशों में एक जैसी संसदीय प्रणालियां हैं और यह भी बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पैमाना अत्यंत विशाल है। राज्य मंत्री ने कुछ ही घंटों के रिकार्ड समय में मतगणना पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के बारे में भी उल्लेख किया। राज्यमंत्री ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति पैनल की भूमिकाओं सहित भारतीय संसद के दोनों सदनों में लागू विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। शिष्टमंडल 29 मई, 2015 को सिडनी के लिए रवाना हो गया।



[शिष्टमंडल ने 27.05.2015 को कैनबरा में माननीय ब्रॉनविन बिशप, संसद सदस्य और अध्यक्ष, हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भेंट की]।

9.7 भारतीय संसदविदों के सदभावना शिष्टमंडल ने 29-31 मई, 2015 के दौरान सिडनी का दौरा किया। शिष्टमंडल संसद पहुंचा और पीठासीन अधिकारियों द्वारा आयोजित लंच-बैठक में शामिल हुआ जहां दोनों पक्षों के सदस्यों ने संसदीय पद्धतियों/प्रक्रियाओं, देश की चुनाव प्रणाली आदि सहित विभिन्न मामलों से संबंधित विचारों का आदान-प्रदान किया। कुछ सदस्यों के सवालों के जवाब में, उन्होंने बताया कि प्रत्येक सदन के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों के लिए मतदान करना अनिवार्य है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का प्रतिनिधित्व न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर द्वारा किया जाता है, जो न्यू साउथ वेल्स की कार्यपालिका परिषद की अध्यक्षता करते हैं। राज्य मंत्री ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में समावेशी आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में बात की। उनमें से कुछ कार्यक्रम हैं - डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, देशभर में बहु-लेन एक्सप्रेस वे और स्मार्ट शहरों का निर्माण। शिष्टमंडल ने दोनों सदनों का भी दौरा किया। राज्यमंत्री ने सुश्री मेगन लिली, निदेशक, शिक्षा और प्रशिक्षण तथा अध्यक्ष ऑस्ट्रेलियाई उद्योग समूह से मुलाकात की। दिनांक 30.05.2015 की सुबह शिष्टमंडल वॉलोन्गॉन्ग के लिए रवाना हो गया और वॉलोन्गॉन्ग जाते समय रास्ते में शिष्टमंडल ने सिंबीयो वाइल्ड लाइफ पार्क और श्री वेंकटेश्वर हिंदू मंदिर का दौरा किया। शिष्टमंडल ने वॉलोन्गॉन्ग कोल माइन का दौरा किया जहां उन्हें खनन के बारे में प्रस्तुति दी गई। शिष्टमंडल ने कोयले की खनन स्थल का भी दौरा किया। शाम को भारतीय समुदाय ने शिष्टमंडल के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया जहां सदस्यों ने प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत की है। दिनांक 31.05.2015 को शिष्टमंडल ने प्रसिद्ध ओपेरा हाऊस और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। शिष्टमंडल दिनांक 31.05.2015 को ऑकलैंड के लिए रवाना हो गया।

01.06.2015 से 03.06.2015 के दौरान न्यूजीलैंड का दौरा

9.8 शिष्टमंडल दिनांक 31.05.2015 को देर रात्रि ऑकलैंड पहुंचा। 1 जून, 2015 को महारानी के जन्मदिन के कारण छुट्टी थी। तथापि, शिष्टमंडल ने यूनिटेक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया। एक पारंपरिक माओरी स्वागत के बाद, श्री रिक ईड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और श्री स्टीव हेडॉक, पूर्व निदेशक, व्यवसाय विकास और विपणन ने यूनिटेक के मुख्य उद्देश्यों और वहां कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षणों के बारे में विस्तार से बताया। न्यूजीलैंड भारत मैत्री संघ (न्यूजीलैंडआईएफए) और भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद (आईन्यूजीलैंडबीसी) ने संयुक्त रूप से शिष्टमंडल के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की जिसमें न्यूजीलैंड के कई सांसद भी मौजूद थे। चर्चा के दौरान, भारत के उच्चायुक्त ने न्यूजीलैंड व्यापार के लिए भारतीय कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी नवाचार गठजोड़ स्थापित करने और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर जोर दिया। राज्य मंत्री ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में समावेशी आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में बात की। शिष्टमंडल दिनांक 02.06.2015 को वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया।

9.9 शिष्टमंडल ने 2-4 जून, 2015 के दौरान वेलिंगटन का दौरा किया। शिष्टमंडल ने वेल्टेक, वोकेशनल ट्रेनिंग और पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट का दौरा किया। शिष्टमंडल ने वेल्टेक में विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा निर्माण और इमारत उद्योग, बढईगिरी, बिजली के काम, पेंटिंग और लकड़ी के घरों के निर्माण के लिए संस्थान में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का अवलोकन किया। वेल्टेक में 57% विद्यार्थी भारत से थे।



[शिष्टमंडल वेलिंगटन में वेल्टेक वोकेशनल ट्रेनिंग और पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में]

9.10 शिष्टमंडल ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की से भेंट की। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि दोनों देशों की बीच नजदीकी द्विपक्षीय संबंध हैं जो उनकी राष्ट्रमंडल पृष्ठभूमि के कारण मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड की एक सदन वाली संसद में भारतीय समुदाय के तीन सदस्य हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र लागू करने के माध्यम से व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने की वांछनीयता का हवाला दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक हैं और उनका कार्यालय 2016 की पहली तिमाही के दौरान इसकी संभावनाओं पर काम कर रहा है।

9.11 3 जून को, शिष्टमंडल ने **माननीय डेविड कार्टर, न्यूजीलैंड संसद के अध्यक्ष** से भेंट की। अध्यक्ष ने संतोष व्यक्त किया कि शिष्टमंडल को प्रश्नकाल के दौरान न्यूजीलैंड की संसद के सत्र को देखने और न्यूजीलैंड में संसदीय लोकतंत्र का वेस्टमिंस्टर मॉडल किस प्रकार राजनीतिक प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन कर रहा है इसका अनुभव करने और भारत के साथ उसकी तुलना करने का अवसर प्राप्त होगा। राज्यमंत्री ने इस बात को दोहराया कि दोनों देशों में एक जैसी संसदीय प्रणालियां हैं और यह भी बताया कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पैमाना अत्यंत विशाल है। राज्य मंत्री ने कुछ ही घंटों के रिकार्ड समय में मतगणना पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के बारे में भी उल्लेख किया। राज्यमंत्री ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति पैनल की भूमिकाओं सहित भारतीय संसद के दोनों सदनों में लागू विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। न्यूजीलैंड के अध्यक्ष ने तत्पश्चात दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने पर जोर देने की मांग की।



[शिष्टमंडल ने माननीय डेविड कार्टर, अध्यक्ष, न्यूजीलैंड संसद से भेंट की]

9.12 न्यूजीलैंड के जातीय समुदायों के मंत्री माननीय सैम लोटू-लिगा ने शिष्टमंडल के स्वागत में दोपहर के भोजन की मेजबानी की। राज्यमंत्री ने यात्रा के मुख्य उद्देश्यों और आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र सहित दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने की संभावनाओं को स्पष्ट किया।

9.13 राज्यमंत्री ने माननीय स्टीवन जॉयस, तृतीयक शिक्षा, कौशल और रोजगार मंत्री से भी मुलाकात की। राज्यमंत्री ने अवगत कराया कि प्रारंभ में, भारत में अधिकतर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के विभिन्न विभागों के तहत चलाए जा रहे थे परंतु नई सरकार के गठन के बाद, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार में एक नए मंत्रालय - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का सृजन किया गया है। भारत के उच्चायुक्त ने शिष्टमंडल के स्वागत में रात्रिभोज की मेजबानी की जहां न्यूजीलैंड संसद के सदस्य भी मौजूद थे। राज्यमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आशाजनक संभावनाओं पर बल दिया।

9.14 राज्यमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी वृद्धि और विकास को हासिल करने की नवीन गति और उस समर्थ भूमिका पर बल दिया जो प्रवासी भारतीय समुदाय इस कार्य में निभा सकता है। शिष्टमंडल ने वेलिंगटन से मेलबर्न के रास्ते दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और उसी दिन 1730 बजे दिल्ली पहुंच गया।

9.15 दौरा काफी सफल और संतोषजनक रहा तथा शिष्टमंडल का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। शिष्टमंडल ने मेजबान देश पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। दोनों पक्षों के बीच विचारों और धारणाओं का मुक्त और उपयोगी आदान-प्रदान हुआ और वे एक बेहतर दुनिया के लिए साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हुए।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.16 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों के लिए संसद सदस्यों के नामों का नामांकन/अनुमोदन करते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित संसद सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए गए शिष्टमंडल में नामांकित किया गया:-

1.	1.	श्री सुरेश अंगड़ी, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा.	9-15 अक्टूबर, 2015 के दौरान माननीय राष्ट्रपति का इज़ाइल, फिलीस्तीन और जॉर्डन का दौरा।
	2.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा.	
	3.	श्री जुगल किशोर, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा.	

	4.	श्री रवनीत सिंह बिट्टू, संसद सदस्य (लो.स.), भा.रा.कां.	
	5.	श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, संसद सदस्य (लो.स.), शिव सेना	
	6.	श्री के. श्रीनिवास, संसद सदस्य (लो.स.), ते.दे.पा.	
	7.	श्री अनुपम हाजरा, संसद सदस्य (लो.स.), अ.भा.तृ.कां.	
	8.	श्री विनय कटियार, संसद सदस्य (रा.स.), भा.ज.पा.	
	9.	श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (रा.स.), स.पा.	
2.	1.	श्री रतन लाल कटारिया, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा.	संयुक्त राष्ट्र महा सभा के 70वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए।
	2.	श्री कमलेश पासवान, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा.	
	3.	श्री मनसुख एल. मांडविया, संसद सदस्य (रा.स.), भा.ज.पा.	
	4.	श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लो.स.), बी.ज.द.	
	5.	श्री एस.पी. मुदाहनुमेगौड़ा, संसद सदस्य (लो.स.), भा.रा.कां.	
	6.	श्री अभिषेक बनर्जी, संसद सदस्य (लो.स.), अ.भा.तृ.कां.	
	7.	श्री राहुल कासवान, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा.	
	8.	श्रीमती विजिला सत्यानंत, संसद सदस्य (रा.स.), अ.भा.अ.द्र.मु.क.	
	9.	श्री कानजीभाई गोहेल, संसद सदस्य (रा.स.), भा.ज.पा.	
	10.	श्रीमती रीती पाठक, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा.	
	11.	श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य (लो.स.), भा.रा.कां.	

	12	प्रो. राम गोपाल यादव, संसद सदस्य (रा.स.), स.पा.	
3.	1	श्री नीरज शेखर, संसद सदस्य (रा.स.), स.पा.	10-13 जनवरी, 2016 के दौरान माननीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में सरकारी शिष्टमंडल का इजाइल का दौरा।
	2	श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लो.स.), बी.ज.द.	
	3	श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा.	

विदेशों से आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक

9.17 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विदेशों से निम्नलिखित संसदीय शिष्टमंडलों ने संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात की तथा संसद के कार्यचालन और परस्पर हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया:

1.	13.3.2015	महामहिम सुश्री क्लौडिया रोथ, जर्मन संसद की उपाध्यक्ष के नेतृत्व में जर्मनी से 3 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।
2.	16.3.2015	महामहिम श्री ज्योफरी वान आर्डन, यूरोपीय संसद में रातनीतिक दल के सभापति और यूरोपीय परंपरावादी और सुधारवादी (ई.सी.आर.) के नेतृत्व में यूरोप से 7 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।
3.	27.4.2015	महामहिम श्री जोस मेनुएल गार्शिया-मारगल्लो, स्पेन में माननीय विदेश और सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में स्पेन से 8 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।
4.	27.4.2015	महामहिम श्री फ्रांतिसेक बुबलान, चेक गणराज्य में विदेश, रक्षा और सुरक्षा मामलों की समिति के सभापति के नेतृत्व में चेक गणराज्य से एक 6 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।
5.	11.6.2015	महामहिम श्री फादली जोन, इंडोनेशिया में हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के उप सभापति के नेतृत्व में इंडोनेशिया से 14 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।
6.	10.8.2015	महामहिम श्री जिगमे जांग्पो, भूटान की संसद की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में भूटान से 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।
7.	4.12.2015	श्री बिल गेट्स के नेतृत्व में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से एक शिष्टमंडल।

8.	10.12.2015	श्री प्रवीण बल, माननीय स्थानीय सरकार, आवास, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और परिवहन मंत्री के नेतृत्व में फिजी से 5 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।
----	------------	--

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.18 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 30 संसद सदस्यों (21 राज्य सभा से और 9 लोक सभा से) ने विदेश दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.19 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता हो, उनके संबंध में गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.20 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निर्देशों (का.जा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.21 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में गुजरात, मेघालय और कर्नाटक की सरकारों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय - 10

युवा संसद योजना

एक झलक

- विभिन्न "युवा संसद प्रतियोगिता" योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:-
 - क) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विद्यालयों के लिए 50वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2015-16 के लिए 21-22 अप्रैल, 2015 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में।
 - ख) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015-16 के लिए केंद्रीय विद्यालय, हैदराबाद, केंद्रीय विद्यालय, अहमदाबाद, केंद्रीय विद्यालय, तेजपुर, केंद्रीय विद्यालय, इलाहाबाद और केंद्रीय विद्यालय, शिमला में क्रमशः 10-11 अप्रैल, 2015, 16-17 अप्रैल, 2015, 1-2 मई, 2015, 5-6 मई, 2015 और 8-9 मई, 2015 के दौरान।
 - ग) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015-16 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, दक्षिण गोवा और जवाहर नवोदय विद्यालय, कटक (ओडिशा) में क्रमशः 24-25 अप्रैल, 2015 और 27-28 अप्रैल, 2015 के दौरान।
- केंद्रीय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2014-15 और जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015-16 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन क्रमशः 10 जुलाई, 2015 और 15 जुलाई, 2015 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में किया गया।
- शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 50वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015-16 के 4 सर्वोत्तम योग्य विद्यालयों का अंतिम मूल्यांकन 28 अक्टूबर, 2015 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में किया गया।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है

और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

50वीं युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.2 इस मंत्रालय ने 50वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2015-16 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 21-22 अप्रैल, 2015 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पृष्ठभूमि संबंधी आवश्यक सामग्री वितरित की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा व्याख्यात्मक भाषण दिए गए। 35 विद्यालयों से 70 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों ने इस अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

50वीं युवा संसद प्रतियोगिता का अंतिम मूल्यांकन

10.3 वर्ष के दौरान 35 विद्यालयों के बीच 50वीं युवा संसद प्रतियोगिता के मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग्यता क्रम में सर्वोत्तम 4 विद्यालयों का अंतिम मूल्यांकन 28 अक्टूबर, 2015 को किया गया जिसे लोक सभा टीवी द्वारा रिकार्ड किया गया।

2. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.4 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। अब तक 28 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015-16 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.5 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 28वीं राष्ट्रीय युवा संसद के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015-16 के संबंध में मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के परामर्श से निम्न प्रकार से पांच अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए:-

- पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम दक्षिणी अंचल के लिए 10 और 11 अप्रैल, 2015 को केन्द्रीय विद्यालय, नं.2, उप्पल, हैदराबाद में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5

क्षेत्रों अर्थात चैन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, एरनाकुलम और जबलपुर से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

- दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पश्चिमी अंचल के लिए 16 और 17 अप्रैल, 2015 को केन्द्रीय विद्यालय नं.1, शाहीबाग, अहमदाबाद में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, आगरा और रांची से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।
- तीसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पूर्वी अंचल के लिए 1 और 2 मई, 2015 को केन्द्रीय विद्यालय, नं.1, तेजपुर में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात कोलकाता, गुवाहाटी, सिल्चर, तिनसुकिया और भुवनेश्वर से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।
- चौथा अभिविन्यास पाठ्यक्रम केंद्रीय अंचल के लिए 5 और 6 मई, 2015 को केन्द्रीय विद्यालय, न्यू कैंट, इलाहाबाद में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात वाराणसी, भोपाल, लखनऊ, पटना, रायपुर से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।
- पांचवां अभिविन्यास पाठ्यक्रम उत्तरी अंचल के लिए 8 और 9 मई, 2015 को केन्द्रीय विद्यालय, जाखू हिल्स, शिमला में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, गुडगांव, जम्मू से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन

10.6 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 125 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिताएं पहले अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गईं। तत्पश्चात, 5 आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएं 25 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच आयोजित की गईं। अंततः राष्ट्रीय विजेता चुनने के लिए 10.12.2015 को समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।

27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.7 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 10 जुलाई, 2015 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। चार केंद्रीय विद्यालयों को अपने-अपने अंचलों में उनके योग्य निष्पादन के लिए आंचलिक विजेता की ट्रॉफियां और 20 विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के 950 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को भी

प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए (750 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर और 200 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए)।



श्री राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री केन्द्रीय विद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ 10 जुलाई, 2015 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2014-15 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर।

3. जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.8 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक 17 प्रतियोगिताएं पूरी की जा चुकी हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.9 युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, इस मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015 के संबंध में दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से आयोजित किए:-

- पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 24 और 25 अप्रैल, 2015 को जवाहर नवोदय विद्यालय, दक्षिण गोवा में हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।
- दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 27 और 28 अप्रैल, 2015 को जवाहर नवोदय विद्यालय, कटक (ओडिशा) में भोपाल, लखनऊ, पटना, शिलॉग क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन

10.10 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में किया गया। प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर और तत्पश्चात अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई। जवाहर नवोदय विद्यालय, चूड़ाचांदपुर, मणिपुर ने जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2014-15 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.11 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 10 जुलाई, 2015 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अफज़ल अमानुल्लाह, सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। जवाहर नवोदय विद्यालय, चूड़ाचांदपुर (मणिपुर) जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुनः अभिनीत किया और इस विद्यालय को “संसदीय चल वैजयन्ती” प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, सात विद्यालयों को भी क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गईं। इसके अलावा, प्रतिभागी विद्यालयों के 367 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए (303 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर और 64 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए)।



श्री अफज़ल अमानुल्लाह, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों के साथ 15 जुलाई, 2015 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन

10.12 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में किया गया। प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर और तत्पश्चात अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन पूर्ण नहीं हुआ है और अभी चल रहा है।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.13 वर्ष 1997-98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में कुल 12 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 12वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन

10.14 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 30 विश्वविद्यालयों में किया गया। प्रतियोगिता पहले अपने-अपने गुप्तों में प्रतिभागी विश्वविद्यालयों के बीच गुप्त स्तर पर और तत्पश्चात अपने-अपने गुप्तों में प्रथम आए विश्वविद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई। राष्ट्रीय विजेता चुनने के लिए 21.12.2015 को समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। समीक्षा समिति के निर्णय के आधार पर जाधवपुर विश्वविद्यालय को एकमत से 12वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015-16 का राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.15 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना चलाई जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान मध्य प्रदेश (वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए) और पश्चिम बंगाल राज्यों को क्रमशः रु.2,21,809/-, तथा (वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए), रु.15,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण

10.16 मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता योजना को आरंभ करने और चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण और साहित्य भी उपलब्ध कराता है। इस प्रयोजन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रधानाचार्यों, प्रभारी अध्यापकों और आयोजकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा आयोजित

‘अभिविन्यास पाठ्यक्रमों’ में, यदि अनुरोध किया जाता है तो इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा “युवा संसद प्रतियोगिता” के संचालन के सिद्धांत और प्रक्रिया संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है। हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के अनुरोध पर, युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को क्रमशः 8 अगस्त, 2015 और 8 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया और मंत्रालय ने युवा संसद के संचालन संबंधी साहित्य भी उपलब्ध कराया।

अध्याय-11
मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें दिनांक 18.03.2015, 16.06.2015, 04.09.2015 और 21.12.2015 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिन्दी सलाहकार समिति

11.5 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 16 जून, 2015 को समिति का पुनर्गठन किया गया और 24 जुलाई, 2015 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान चार अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

11.7 1 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2015 के दौरान मंत्रालय में "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित 6 प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गई:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता;
4. हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता;
5. हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता; और
6. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।

11.8 हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 14 सितम्बर, 2015 को संसद भवन में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 20 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।



(बाएं से दाएं) 14 सितंबर, 2015 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर सुश्री मृगनयनी पाण्डेय, सहायक निदेशक, डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, श्री अफजल अमानुल्लाह, सचिव, श्री ए. मनोहरन, उप सचिव और श्री आर.सी. महान्ति, उप सचिव

11.9 संसदीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2014-15 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार हेतु चुना गया। हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2015 को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत के माननीय राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण किया।



श्री अफजल अमानुल्लाह, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 14 सितंबर, 2015 को हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

11.10 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग और अनुसंधान प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	कार्यान्वयन-I अनुभाग	100%
3.	कार्यान्वयन-II अनुभाग	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-II अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी-I अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिन्दी कार्यशाला

11.11 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान 8 से 17 जून, 2015 के दौरान हिंदी कार्यशाला का संचालन किया गया। इस कार्यशाला में 16 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

11.12 हिंदी कार्यशाला के अतिरिक्त, 8 जुलाई, 2015 को मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय में तनावमुक्त रहते हुए आसानी से कार्य करने और अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करने के बारे में ओम शान्ति रिट्रीट सेंटर, गुड़गांव की निदेशक, ब्रह्माकुारी आशा और सिस्टर हुसैन ने व्याख्यान दिया।

सामान्य

एक झलक

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
 - (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 236 संसद सदस्य (162 लोक सभा और 74 राज्य सभा); और
 - (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 92 संसद सदस्य (44 लोक सभा और 48 राज्य सभा)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 236 संसद सदस्यों (लोक सभा के 162 और राज्य सभा के 74) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-10** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-11** में दर्शाए गए रूप में 92 संसद सदस्यों (लोक सभा के 44 और राज्य सभा के 48) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.3 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:-

- (i) सोलहवीं लोक सभा की याचिका समिति का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन।
- (ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 152वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते

12.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

- (क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
- (ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
- (ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
- (घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

12.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमशः अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

12.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम 37) संसद द्वारा पारित किया गया था जिसके द्वारा सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन और पेंशन बढ़ाए गए थे। वेतन और पेंशन 18 मई, 2009 से बढ़ाए गए थे जोकि पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख है। भत्ते 1 अक्टूबर, 2010 से बढ़ाए गए थे।

12.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमशः **परिशिष्ट-12** और **परिशिष्ट-13** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.8 16वीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के पहले से नौवें प्रतिवेदन पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

12.9 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख

भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारु संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

12.10 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक सत्रह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 17वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आंध्र प्रदेश विधानमंडल के सहयोग से 29-30 सितंबर, 2015 को विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन श्री एम. वेंकैया नायडु, माननीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया गया था और इसमें राज्यों के संसदीय कार्य मंत्रियों और संसद के सदनों में और राज्यों से 12 पर्यवेक्षकों सहित राज्यों की विधान सभाओं/परिषदों में सभी महत्वपूर्ण दलों और समूहों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों सहित 94 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था।

12.11 29-30 सितंबर, 2015 को उद्घाटन सत्र के पश्चात कार्यसूची की मर्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में मुख्यतः चार मुद्दों अर्थात् 16वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों की समीक्षा, एक स्वतंत्र परिलब्धियां आयोग का गठन, समस्यात्मक विषयों का समाधान करने के लिए अंतर-दलीय मंचों की स्थापना तथा एमपीलैड्स पर फिर से विचार और पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श और सिफारिश की गई। 30 सितंबर, 2015 को समापन सत्र में सम्मेलन की सिफारिशें प्रस्तुत की गईं और सर्वसम्मति से अंगीकृत की गईं। इन सिफारिशों का उद्देश्य देश के विधायी निकायों की प्रक्रियाओं और पद्धतियों में एकरूपता लाना और उनके कार्यचालन में सुधार करना है। सम्मेलन ने विचार व्यक्त किया कि इन सिफारिशों पर अविलंब विचार करना और उन्हें कार्यान्वित करना आवश्यक है।



(विशाखापट्टणममें 17वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के दौरान श्री एम. वेंकैया नायडु, माननीय शहरी विकास; आवास और शहरी गरीबी उपशमन और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन भाषण)



(17वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का सामूहिक फोटोग्राफ)



(17वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि)



(30.09.2015 को 17वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का समापन सत्र)

संसद सदस्य - प्रदान की जाने वाली सेवाएं

संसद सदस्यों का कल्याण

12.12 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

12.13 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट <http://www.mpa.nic.in> पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की जानकारी (द्विभाषी रूप में) दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

12.14 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री खिकीहो झिमोमी, संसद सदस्य (रा.स.) (नागालैंड पीपल्स फ्रंट) को दिनांक 26.11.2015 को दिल का दौरा पड़ने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर सहायता प्रदान की गई। उसी दिन स्वर्गीय श्री खिकीहो झिमोमी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चार्टर्ड हवाई जहाज से दीमापुर, नागालैंड ले जाया गया।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

12.15 संसदीय कार्य मंत्रालय, जब भी आवश्यक हो, सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था भी करता है ताकि वे रात्रि को आकस्मिक समय में अपने आवास तक पहुंच सकें।

12.16 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात बैठक (बैठकें) चलने के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्रि भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

12.17 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह और निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

12.18 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचिवों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक

व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार से बैठकें बुलाई गईं:

क्र.सं.	तारीख	जिनके द्वारा बैठक बुलाई गई	विषय	स्थान
1.	22.03.2015	माननीय संसदीय कार्य मंत्री (प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे)	बजट सत्र का सुचारु कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
2.	20.07.2015	माननीय संसदीय कार्य मंत्री (प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे)	मानसून सत्र का सुचारु कार्यचालन	63, संसद भवन, नई दिल्ली।
3.	03.08.2015	माननीय संसदीय कार्य मंत्री (प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे)	मानसून सत्र का सुचारु कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
4.	25.11.2015	माननीय संसदीय कार्य मंत्री (प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे)	शीतकालीन सत्र का सुचारु कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली



[संसद के मानसून सत्र से पहले दिनांक 20.07.2015 को कमरा नं.63, संसद भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक]

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

12.19 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान के उद्देश्य से, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुमोदन से, वर्ष 1985 से मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया। इस मंत्रालय ने 19 से 21 जनवरी, 2015 को संसद भवन, नई दिल्ली में रेल मंत्रालय के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया था।

12.20 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंततः पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

अनुसंधान कार्य

12.21 अनुसंधान प्रकोष्ठ मंत्रालयों में संसदीय कार्य निपटाने की नियम पुस्तिका की समीक्षा करता है/उसे अद्यतित करता है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मांग किए जाने पर संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर परामर्श/मार्ग-दर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

12.22 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका भी तैयार करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है।

12.23 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ठ के स्टाफ द्वारा किया जाता है।

12.24 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामलों और संसदीय सचिवों के कार्यों संबंधी मामलों को निपटाया जाता है।

12.25 दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए लोक सभा और राज्य सभा के नियमों के संगत उपबंधों की उपयुक्तता का विश्लेषण शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक संदर्भ प्रपत्त होने पर संसदीय कार्य निपटाने संबंधी नियम पुस्तक में संशोधन किया गया है और यह विचाराधीन है।

बजट की स्थिति

12.26 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	विषय-शीर्ष	बजट अनुमान 2015-16		संशोधित अनुमान 2015-16		बजट अनुमान 2016-17		वास्तविक व्यय 2015-16 1.2.16 तक	
		योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
मुख्य शीर्ष "2052", सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय 13-संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.01- वेतन	--	95200	--	97000	--	112500	--	92128
	13.00.03- समयोपरि भत्ता	--	300	--	200	--	250	--	142
	13.00.06- चिकित्सा उपचार	--	600	--	900	--	650	--	601
	13.00.11- देशीय यात्रा व्यय	--	2000	--	3500	--	2000	--	2037
	13.00.12- विदेशी यात्रा व्यय	--	25000	--	18750	--	25000	--	7871
	13.00.13- कार्यालय व्यय	--	15000	--	16500	--	15000	--	14159
	13.00.16- प्रकाशन	--	1000	--	1900	--	1000	--	1733
	13.00.20- अन्य प्रशासनिक व्यय	--	7900	--	9000	--	7900	--	7443
	13.00.50- अन्य प्रभार	--	8700	--	9750	--	8700	--	7806
	कुल मुख्य शीर्ष "2052"		--	155700	--	157500	--	173000	--

12.27 वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुनः प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2015-16 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप

12.28 यह मंत्रालय नियुक्तियों इत्यादि में अक्षम व्यक्तियों के लाभों के मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

ई-ऑफिस एम.एम.पी. का आरंभ

12.29 मंत्रालय में ई-ऑफिस एम.एम.पी. शुरू किया गया है और सभी अभिलेखों का डिजिटাইजेशन कर लिया गया है। मंत्रालय में ई-ऑफिस एम.एम.पी. की प्रगति का मानीटरन सचिव स्तर पर किया जाता है।

आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली

12.30 मंत्रालय ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की है।

सूचना का अधिकार

12.31 मंत्रालय के संबंध में तिमाही-वार रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

तिमाही समाप्ति की तारीख	तिमाही के दौरान प्राप्त सूचना के अधिकार संबंधी आवेदन	धारा 6(3) के अंतर्गत दूसरे लोक प्राधिकरणों को अंतरित किए गए मामलों की संख्या	वे निर्णय जहां अनुरोध/अपील को अस्वीकार किया गया	वे निर्णय जहां अनुरोध/अपील को स्वीकार किया गया
पहली तिमाही (अप्रैल, 2015 - जून, 2015)				
अनुरोध	116	83	02	31
प्रथम अपील	03	लागू नहीं	0	03
दूसरी तिमाही (जुलाई, 2015 - सितंबर, 2015)				
अनुरोध	106	63	02	41
प्रथम अपील	05	लागू नहीं	0	05
तीसरी तिमाही (अक्टूबर, 2015 - दिसंबर, 2015)				
अनुरोध	184	77	9	100
प्रथम अपील	04	लागू नहीं	0	04

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय;
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और गुणों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क;
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां;
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रुख;
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता;
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरें;
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव- कार्य;
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान;
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका;

21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30);
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33);
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2
(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा					
सोलहवीं लोक सभा का चौथा सत्र और राज्य सभा का 234वां सत्र					
क्र.सं.	अधिनियम का नाम	विधेयक के पुरःस्थापन की तारीख (तारीखें)	विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख		अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति
			लो.स.	रा.स.	
1	2	3	4	5	6
वित्त मंत्रालय					
1.	बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015	03.03.2015 लो.स.	04.03.2015	12.03.2015	<u>2015 का 5</u> 20.03.2015
2.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2015	17.03.2015 लो.स.	17.03.2015	18.03.2015 19.03.2015	<u>2015 का 8</u> 24.03.2015
3.	विनियोग अधिनियम, 2015	17.03.2015 लो.स.	17.03.2015	18.03.2015 19.03.2015	<u>2015 का 9</u> 24.03.2015
गृह मंत्रालय					
4.	नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015	27.02.2015 लो.स.	02.03.2015	04.03.2015	<u>2015 का 1</u> 10.03.2015
5.	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2015	12.03.2015 लो.स.	12.03.2015	16.03.2015 17.03.2015	<u>2015 का 6</u> 24.03.2015
6.	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2015	12.03.2015 लो.स.	12.03.2015	16.03.2015 17.03.2015	<u>2015 का 7</u> 24.03.2015
7.	आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015	02.03.2015 लो.स.	17.03.2015	20.03.2015	<u>2015 का 12</u> 30.03.2015
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
8.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014	11.02.2014 रा.स.	17.03.2015	24.02.2015	<u>2015 का 4</u> 20.03.2015
खान मंत्रालय					
9.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015	24.02.2015 लो.स.	02.03.2015 03.03.2015	10.03.2015 11.03.2015 19.03.2015 20.03.2015	<u>2015 का 10</u> 26.03.2015

10.	कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015	02.09.2015 लो.स.	03.03.2015 04.03.2015	11.03.2015 20.03.2015	<u>2015 का 11</u> 30.03.2015
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
11.	मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2015	02.03.2015 लो.स.	03.03.2015	11.03.2015	<u>2015 का 3</u> 19.03.2015
शहरी विकास मंत्रालय					
12.	सरकारी स्थान (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015	11.12.2014 लो.स.	15.12.2014	24.02.2015	<u>2015 का 2</u> 13.03.2015
16वीं लोक सभा का चौथा सत्र (दूसरा भाग) और राज्य सभा का 235वां सत्र					
रेल मंत्रालय					
1.	विनियोग (रेल) संख्या 2 अधिनियम, 2015	21.04.2015 लो.स.	21.04.2015	27.04.2015	<u>2015 का 13</u> 05.05.2015
विदेश मंत्रालय					
2.	संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम, 2013	18.12.2013 रा.स.	07.05.2015	06.05.2015	28.05.2015
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
3.	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2014	12.12.2014 लो.स.	16.12.2014 17.12.2014	12.05.2015 13.05.2015	<u>2015 का 21</u> 25.05.2015
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
4.	भांडागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015	03.03.2015 लो.स.	18.03.2015	28.04.2015	<u>2015 का 16</u> 13.05.2015
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
5.	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2015	11.08.2014 लो.स.	18.03.2015	05.05.2015	<u>2015 का 17</u> 13.05.2015
6.	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2014	03.12.2014 लो.स.	04.12.2014 08.12.2014	23.12.2014 05.05.2015	<u>2015 का 19</u> 14.05.2015
वित्त मंत्रालय					
7.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2014	18.12.2014 लो.स.	22.12.2014	28.04.2015	<u>2015 का 14</u> 12.05.2015
8.	विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2015	29.04.2015 लो.स.	29.04.2015	07.05.2015	<u>2015 का 15</u> 12.05.2015

9.	संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015	08.12.2014 लो.स.	09.12.2014	23.12.2014 27.04.2015	<u>2015 का 18</u> 13.05.2015
10.	वित्त अधिनियम, 2015	28.02.2015 लो.स.	30.04.2015	07.05.2015	<u>2015 का 20</u> 14.05.2015
11.	काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015	20.03.2015 लो.स.	11.05.2015	13.05.2015	<u>2015 का 22</u> 26.05.2015
16वीं लोक सभा का पांचवां सत्र और राज्य सभा का 236वां सत्र					
विधि और न्याय मंत्रालय					
1.	दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015	17.02.2014 रा.स.	27.07.2015 05.08.2015	06.05.2015	<u>2015 का 23</u> 10.08.2015
वित्त मंत्रालय					
2.	विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2015	05.08.2015 लो.स.	05.08.2015	11.08.2015	<u>2015 का 25</u> 20.08.2015
रेल मंत्रालय					
3.	विनियोग (रेल) संख्या 3 अधिनियम, 2015	04.08.2015 लो.स.	04.08.2015	10.08.2015 11.08.2015	<u>2015 का 24</u> 20.08.2015
16वीं लोक सभा का छठा सत्र और राज्य सभा का 237वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
1.	विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2015	15.12.2015 लो.स.	15.12.2015	21.12.2015	<u>2016 का 7</u> 31.12.2015
2.	परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015	27.07.2015 लो.स.	06.08.2015 11.12.2015	07.12.2015	<u>2015 का 26</u> <u>29.12.2015</u>
3.	विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2015	15.12.2015 लो.स.	15.12.2015	21.12.2015	<u>2016 का 8</u> 31.12.2015
विधि और न्याय मंत्रालय					
4.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015	03.12.2015 लो.स.	16.12.2015 17.12.2015	23.12.2015	<u>2016 का 3</u> 31.12.2015
5.	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015	07.12.2015 लो.स.	09.12.2015 10.12.2015 16.12.2015	23.12.2015	<u>2016 का 4</u> 31.12.2015
महिला और बाल विकास मंत्रालय					
6.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	02.08.2014 लो.स.	06.05.2015 07.05.2015	22.12.2015	<u>2016 का 2</u> 31.12.2015

परमाणु ऊर्जा विभाग					
7.	परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015	07.12.2015 लो.स.	14.12.2015	23.12.2015	<u>2016 का 5</u> 31.12.2015
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
8.	बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015	07.12.2015 लो.स.	22.12.2015	23.12.2015	<u>2016 का 6</u> 31.12.2015
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
9.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015	16.07.2014 लो.स.	04.08.2014	14.12.2015 17.12.2015 21.12.2015	<u>2016 का 1</u> 31.12.2015
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
10.	चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015	11.12.2015 लो.स.	15.12.2015	*	<u>2016 का 9</u> <u>11.01.2016</u>

- * लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए यथा अग्रोषित विधेयक को राज्य सभा में इसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया गया। विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति पर संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उसी रूप में दोनों सदनों से पारित किया हुआ मान लिया गया जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

16वीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 237वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित सरकारी विधेयकों की सूची

लोक सभा

I . संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

1. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015
2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015

II. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

3. प्रतिकात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015
4. बेनामी संव्यवहार (निषेध) संशोधन विधेयक, 2015
5. वाणिज्यिक पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015
6. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015

III. विधेयक जिनपर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

7. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014
8. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014
9. रेल (संशोधन) विधेयक, 2014,
10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015
11. लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

राज्य सभा

I. संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987

II. लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक

2. विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015
3. सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015
4. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015
5. निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015
6. भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015
7. विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2015
8. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015
9. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015
10. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015
11. राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015

III. लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक जिस पर राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

12. संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014

IV. स्थायी समितियों को भेजा गया विधेयक

13. राजेन्द्र केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2015

V. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

14. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
15. संसद और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
16. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013

VI. विधेयक जिस पर राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

17. भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013

VII. प्रवर समिति को भेजा गया विधेयक

18. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

VIII. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

19. प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता विधेयक, 1990
20. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
21. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
22. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
23. बीज विधेयक, 2004
24. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
25. भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
26. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मसी विधेयक, 2005
27. नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक, 2007
28. निजि जासूसी एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007
29. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
30. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
31. वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010
32. भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010
33. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
34. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
35. राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य आयोग विधेयक, 2011
36. सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
37. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012
38. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012
39. पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
40. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
41. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
42. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
43. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2013
44. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
45. नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013
46. औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013

47. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
48. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
49. यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014
50. निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014
51. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014
52. अधिकरण, अपीली अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा शर्तें) विधेयक, 2014
53. वक्फ संपत्ति (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
54. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015

परिशिष्ट - 4
(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान रेल और सामान्य बजट तथा राज्य बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
(क) रेल बजट							
क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2015-16 के लिए बजट (रेल) का प्रस्तुतीकरण	26.02.2015	1	04	26.02.2015	-	01
*2.	वर्ष 2015-16 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा	11.03.2015 12.03.2015	13	18	11.03.2015 13.03.2015 16.03.2015 17.03.2015	10	04
*3.	वर्ष 2014-15 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान। *(मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई।)				#	#	#
4.	वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान मांगों (रेल)।	21.04.2015	4	12	#	#	#

(ख) सामान्य बजट							
क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) का प्रस्तुतीकरण	28.02.2015	1	35	28.02.2015	0	01
*2.	वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा	13.03.2015 16.03.2015 17.03.2015	12	59	18.03.2015 19.03.2015	11	01
*3.	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2015-16 के लिए लेखानुदान मांगों (सामान्य)।				#	#	#

(ii)	वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य)। *(2 और 3 मदों पर एक साथ चर्चा की गई।)						
4.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	22.04.2015	3	55			
5.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	23.04.2015	4	22			
6.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	24.04.2015 27.04.2015	4	30			
7.	गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	27.04.2015	5	16			
8.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	28.04.2015 28.04.2015	4	02			
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	29.04.2015	3	01			
10.	निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों के संबंध में वर्ष 2015-16 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ:- (1) कृषि (2) परमाणु ऊर्जा (3) आयुष (4) नागर विमानन (5) कोयला (6) वाणिज्य और उद्योग (7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (8) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	29.04.2015	0	07	#	#	#

	(9) कारपोरेट कार्य (10) संस्कृति (11) रक्षा (12) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (13) पृथ्वी-विज्ञान (14) विदेश (15) वित्त (16) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (17) भारी उद्योग और लोक उद्यम (18) आवास और शहरी गरीबी उपशमन (19) सूचना और प्रसारण (20) श्रम और रोजगार (21) विधि और न्याय (22) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (23) खान (24) अल्पसंख्यक कार्य (25) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (26) प्रवासी भारतीय कार्य (27) पंचायती राज (28) संसदीय कार्य (29) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (30) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (31) योजना (32) विद्युत (33) लोक सभा (34) राज्य सभा (35) उप राष्ट्रपति सचिवालय (36) सड़क परिवहन और राजमार्ग (37) ग्रामीण विकास (38) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (39) पोत परिवहन (40) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (41) कौशल विकास और उद्यमिता (42) नीति आयोग (43) इस्पात (44) वस्त्र (45) पर्यटन (46) जनजातीय कार्य (47) शहरी विकास (48) जल संसाधन (49) महिला और बाल विकास (50) युवा कार्य और खेल						
11.(i)	वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) (दूसरा भाग) पर चर्चा और मतदान।	14.12.2015 15.12.2015	3	54	#	#	#
(ii)	वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों (सामान्य)। *एक साथ चर्चा की गई।						

टिप्पणी: #राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	7.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां - 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां - 240 नहीं - 109 अनुपस्थित - 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.5.96 28.5.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के	10	51

			मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।		
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.6.96 12.6.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20
7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.4.97	अस्वीकृत हां - 190 नहीं - 338 अनुपस्थित - 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.4.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.3.1998 28.3.1998	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां - 269 नहीं - 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.7.2008 22.7.2008	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 256	15	11

01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

- (1) डॉ. भोला सिंह का अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2014
- (2) डॉ. भोला सिंह का ग्रामीण विद्युतीकरण विधेयक, 2014
- (3) डॉ. भोला सिंह का अनिवासी भारतीय (मतदान का अधिकार और कल्याण) विधेयक, 2014
- (4) डॉ. भोला सिंह का काम का अधिकार विधेयक, 2014
- (5) श्री वैजयंत पांडा का अप्रत्यक्ष सांस्कृतिक विरासत (संरक्षण,परिरक्षण और संवर्धन) विधेयक, 2014
- (6) श्रीमती सुप्रिया सुले का चिकित्सा उपचार व्यवसायी और क्लीनिक (विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, 2014
- (7) श्रीमती सुप्रिया सुले का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2014
- (8) श्री वैजयंत पांडा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 148 का संशोधन)
- (9) श्री राजू शेटी का विदेशी शिक्षा संस्थान (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2015
- (10) श्रीमती सुप्रिया सुले का दो संतान सन्नियम विधेयक, 2014
- (11) श्रीमती सुप्रिया सुले का बालक संरक्षण विधेयक, 2014
- (12) श्री भर्तृहरि महताब का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 14क का अंतःस्थापन, आदि)
- (13) श्री सुशील कुमार सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
- (14) श्री सुशील कुमार सिंह का बीमा (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (15) श्रीमती मीनाक्षी लेखी का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (आदेश 21 का संशोधन)
- (16) श्री आलोक संजर का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (भोपाल में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (17) श्री भर्तृहरि महताब का घरेलू कर्मकार (कल्याण और नियोजन का विनियमन) विधेयक, 2015
- (18) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)

- (19) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
- (20) मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) का उत्तराखंड राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (21) मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) का संसद सदस्य का इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (उठाई-धराई और निपटान) विधेयक, 2015
- (22) श्री सी.आर. पाटील का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 56क का अंतःस्थापन)
- (23) श्री गोपाल चिन्नेया शेटी का निःशक्त और जरूरतमंद बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2015
- (24) श्री गोपाल चिन्नेया शेटी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
- (25) श्री गोपाल चिन्नेया शेटी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (प्रस्तावना का संशोधन, आदि)
- (26) श्री मुरली मोहन मंगती का आंध्र प्रदेश राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (27) श्री सदाशिव लोखंडे का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बालक (शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आरक्षण और सीटों का अनिवार्य संप्रदर्शन) विधेयक, 2015
- (28) श्री सदाशिव लोखंडे का धर्म संपरिवर्तन निषेध (प्रलोभन या बल से) विधेयक, 2015
- (29) श्री सदाशिव लोखंडे का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अनिवार्य अधिसूचना तथा आरक्षित रिक्तियों को भरा जाना) विधेयक, 2015
- (30) श्री आलोक संजर का केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
- (31) डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' का देश में विदेशी नागरिक अंतर्वाह रोकथाम विधेयक, 2015
- (32) डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' का युवा कल्याण विधेयक, 2015
- (33) डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' का बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक, 2015
- (34) डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' का दो संतान सन्नियम संवर्धन विधेयक, 2015
- (35) श्री सुनील कुमार सिंह का बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक, 2015
- (36) श्री सुनील कुमार सिंह का निजी स्कूल (विनियमन) विधेयक, 2015
- (37) श्री योगी आदित्यनाथ का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुच्छेद 1 का संशोधन, आदि)
- (38) श्री वैजयंत पांडा का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 70 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
- (39) श्री शंकर प्रसाद दत्ता का वृद्धावस्था पेंशन विधेयक, 2015

- (40) श्री शंकर प्रसाद दत्ता का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
- (41) श्री शंकर प्रसाद दत्ता का बीमा अभिकर्ता कल्याण निधि विधेयक, 2015
- (42) श्री शंकर प्रसाद दत्ता का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)
- (43) डॉ. संजय जायसवाल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 272 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
- (44) डॉ. संजय जायसवाल का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
- (45) श्री भर्तृहरि महताब का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 123 और 213 का संशोधन)
- (46) श्री महेश गिरी का गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले स्नातकों के लिए बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2015
- (47) श्री महेश गिरी का प्ले स्कूल (विनियमन) विधेयक, 2015
- (48) श्री सी.आर. पाटील का हिंदु दत्तक और भरण-पोषण (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 18 का संशोधन)
- (49) श्री पंकज चौधरी का निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना विधेयक, 2015
- (50) श्री ए.टी. नाना पाटील का बलात् धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2015
- (51) श्री ए.टी. नाना पाटील का महंगाई भत्ता सार्वत्रिक संदाय विधेयक, 2015
- (52) श्री ए.टी. नाना पाटील का नक्सल प्रभावित राज्य विकास परिषद विधेयक, 2015
- (53) श्री ए.टी. नाना पाटील का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 24 का संशोधन)
- (54) श्री निशिकांत दुबे का भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम विधेयक, 2015
- (55) डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का सार्वजनिक स्वच्छता अनुरक्षण और अपशिष्ट प्रबंध विधेयक, 2015
- (56) डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का घरेलू कर्मकार (शिष्ट कार्यदशाएं) विधेयक, 2015
- (57) डॉ. थोकचोम मेन्या का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 371ग क का अंतःस्थापन)
- (58) श्री ओमप्रकाश यादव का बिहार राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (59) श्री ओमप्रकाश यादव का उपशामक देख-रेख (शिक्षा और प्रशिक्षण) विधेयक, 2015
- (60) श्री ओमप्रकाश यादव का मलिन बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र उन्मूलन विधेयक, 2015

- (61) श्री ओमप्रकाश यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 279क का अंतःस्थापन)
- (62) श्री पी. करुणाकरण संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुसूची का संशोधन)
- (63) श्री पी. करुणाकरण का सिलाई कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2015
- (64) श्री सुनील कुमार सिंह का झारखंड राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (65) श्री प्रहलाद सिंह पटेल का अनाथ बालक (कल्याण) विधेयक, 2015
- (66) श्री प्रहलाद सिंह पटेल का निजी यान (पथकर से छूट) विधेयक, 2015
- (67) श्री प्रहलाद सिंह पटेल का टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां (विनियमन) विधेयक, 2015
- (68) श्री प्रहलाद सिंह पटेल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 376 का संशोधन)
- (69) डॉ. ए. संपत का राष्ट्रीय छात्र आयोग विधेयक, 2015
- (70) श्री जगदंबिका पाल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015
- (71) श्री जगदंबिका पाल का सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 66क का संशोधन)
- (72) मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी एवीएसएम (सेवानिवृत्त) का केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी (अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण) विधेयक, 2015
- (73) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' का वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2015
- (74) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' का ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2015
- (75) श्री फिरोज़ वरुण गांधी का विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 135 का संशोधन)
- (76) श्री पी.पी. चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 220क का अंतःस्थापन)
- (77) श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
- (78) डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का एचआईवी/एड्स विधेयक, 2015
- (79) श्री राकेश सिंह का कृषक कल्याण विधेयक, 2015
- (80) श्री राकेश सिंह का कन्या (निःशुल्क और अनिवार्य) शिक्षा विधेयक, 2015
- (81) श्री राकेश सिंह का एक समान शिक्षा विधेयक, 2015
- (82) श्री दुष्यंत चौटाला का पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (गुडगांव में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (83) श्री देवजी एम. पटेल का राष्ट्रीय कृषक आयोग विधेयक, 2015
- (84) श्री देवजी एम. पटेल का चारा भांडागार बोर्ड विधेयक, 2015

- (85) श्री विष्णु दयाल राम का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुसूची का संशोधन)
- (86) श्री हरिनारायण राजभर का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015
- (87) श्री रवींद्र कुमार जेना का मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2015
- (88) श्री रवींद्र कुमार जेना का विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 5 का संशोधन)
- (89) श्री महेश गिरी का ट्रांसजेंडर व्यक्ति (सामाजिक सुरक्षा का उपबंध) विधेयक, 2015
- (90) डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का भिक्षावृत्ति तथा भिखारियों का पुनर्वास विधेयक, 2015
- (91) श्री आर. धुवनारायण का राष्ट्रीय कृषक आय आयोग विधेयक, 2015
- (92) श्री अश्विनी कुमार चौबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (8वीं अनुसूची का संशोधन)
- (93) डॉ. संजय जायसवाल का चिकित्सा उपकरण विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2015
- (94) श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा का शहीद (पर्याप्त प्रतिकर की संदायगी) विधेयक, 2015
- (95) श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बोस रेजिमेंट विधेयक, 2015
- (96) श्री भैरों प्रसाद मिश्र का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (8वीं अनुसूची का संशोधन)
- (97) श्री आलोक संजर का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुसूची का संशोधन)
- (98) श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी का लेखक और कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2015
- (99) श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी का सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण विधेयक, 2015
- (100) श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी, संसद सदस्य का गाय और अन्य दुधारू पशु (वध, निर्ममता का प्रतिषेध और अन्य उपबंध) विधेयक, 2015
- (101) श्री निशिकांत दुबे का सूखा प्रभावित और सूखा प्रवण क्षेत्र (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015
- (102) श्री निशिकांत दुबे का निर्धन, अनाथ, अवारा और अन्य निराश्रित बालक (दुर्व्यवहार का निवारण पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2015
- (103) श्री एम.के. राघवन का केरल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (104) श्री एम.के. राघवन का जलमार्ग विकास परिषद् विधेयक, 2015
- (105) श्री राजेश रंजन का पूर्वी क्षेत्र पर्यटन संवर्धन बोर्ड विधेयक, 2015
- (106) श्री राजेश रंजन का बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2015
- (107) श्री राजेश रंजन का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण विधेयक, 2015
- (108) श्री रवनीत सिंह का नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 (धारा 7 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)
- (109) श्री राजीव सातव का विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा और अवसंरचना विकास विधेयक, 2015

- (110) श्री राजीव सातव का ऐतिहासिक धरोहर का परिरक्षण और संरक्षण विधेयक, 2015
- (111) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 348 का संशोधन)
- (112) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश का सार्वजनिक टेलीफोन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान विधेयक, 2015
- (113) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)
- (114) श्रीमती पूनम महाजन का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 4 का संशोधन)
- (115) श्री प्रहलाद जोशी का कन्या शिशु (अतिरिक्त सुविधाओं का उपबंध) विधेयक, 2015
- (116) श्री महेश गिरी का निजी चालक (कल्याण) विधेयक, 2015
- (117) श्री भैरों प्रसाद मिश्र का बुंदेलखंड राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2015
- (118) श्रीमती मीनाक्षी लेखी का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 326क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
- (119) श्रीमती मीनाक्षी लेखी का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 357क का संशोधन)
- (120) डॉ. संजय जायसवाल, संसद सदस्य का न्यायालय अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 1 का संशोधन, आदि)
- (121) श्री नानाभाऊ फलगुनराव पटोले का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 2 का संशोधन इत्यादि)
- (122) श्री वैजयंत पांडा का गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) विधेयक, 2015 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (123) श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 112क का और 202क का अंतःस्थापन)
- (124) श्री आनंद राव अडसुल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 330 का संशोधन)
- (125) श्री चंद्रकांत खैरे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 25 का संशोधन)
- (126) श्री चंद्रकांत खैरे का भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक, 2015
- (127) श्री रवींद्र कुमार जेना का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 304ख का संशोधन)
- (128) श्री आनंदराव अडसुल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)
- (129) श्री रवींद्र कुमार जेना का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 370क का संशोधन)
- (130) श्री पंकज चौधरी का भगवान बुद्ध केंद्रीय होम्योपैथी विश्वविद्यालय विधेयक, 2015

- (131) डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी का उन्मूलन विधेयक, 2015
- (132) श्री शिवाजी अधलराव पाटील का शिक्षा विधेयक, 2015
- (133) श्री शिवाजी अधलराव पाटील का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 15क का अंतःस्थापन)
- (134) श्री शिवाजी अधलराव पाटील का रेल (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अध्याय 13क का अंतःस्थापन)
- (135) डॉ. पी. रवींद्र बाबू का आंध्र प्रदेश राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (136) श्री दुष्यंत चौटाला का धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2015 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (137) श्री जगदम्बिका पाल का न्यायालय अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 2 और 13 का संशोधन)
- (138) श्री जगदम्बिका पाल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 304क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन)
- (139) श्री गोपाल चिनय्या शेटी का गुटका और पान मसाला (प्रतिषेध) विधेयक, 2015
- (140) श्री गोपाल चिनय्या शेटी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)
- (141) श्री गोपाल चिनय्या शेटी का अनधिकृत कालोनियों, मलिन और झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अन्य व्यवस्था) विधेयक, 2015
- (142) श्री गोपाल चिनय्या शेटी का निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2015
- (143) श्री भर्तृहरि महताब का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (प्रस्तावना का संशोधन, आदि)
- (144) श्री सी.आर. पाटील का साफ अक्षरों में चिकित्सीय निर्देश लिखना और जेनरिक औषधि दुकानें खोलना विधेयक, 2015
- (145) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
- (146) श्री निशिकांत दुबे का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 80 का संशोधन)
- (147) श्री निशिकांत दुबे का कृषक और कृषि कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2015
- (148) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 58 का संशोधन)
- (149) डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)
- (150) डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी का अशिष्ट विज्ञापन प्रतिषेध विधेयक, 2015
- (151) डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी का बंद कपड़ा मिल कर्मकार (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2015

- (152) श्री सुनील कुमार सिंह का विशेष सिंचाई विकास निधि (वन क्षेत्रों के लिए) विधेयक, 2015
- (153) श्री अजय मिश्रा 'टेनी' का फसल बीमा विधेयक, 2015
- (154) श्री दुष्यंत चौटाला का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नई धारा 136क का अंतःस्थापन)
- (155) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015
- (156) श्री सुनील कुमार सिंह का नक्सली हिंसा के कृत्यों के पीडित (राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2015
- (157) श्री सुनील कुमार सिंह का बालिका (वाणिज्यिकृत दुर्व्यापार निवारण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2015
- (158) श्री भृत्हरि महताब का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (नई धारा 199क का अंतःस्थापन)
- (159) श्री भृत्हरि महताब का औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अध्याय IIIक का अंतःस्थापन)
- (160) डॉ. मनोज राजोरिया का कुपोषण उन्मूलन विधेयक, 2015
- (161) श्री राजेश रंजन का उर्वरक (मूल्य निर्धारण) विधेयक, 2015
- (162) श्री राजेश रंजन का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालिकाओं के दुर्व्यापार का निवारण विधेयक, 2015
- (163) श्री राजेश रंजन का जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2015
- (164) श्री दददन मिश्रा का शैक्षिक संस्थाओं में तर्कशास्त्र का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2015
- (165) श्री अर्जुन मेघवाल का राजस्थान राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (166) श्री अर्जुन मेघवाल का एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2015
- (167) श्री अर्जुन मेघवाल का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2015 (नई धारा 19क का अंतःस्थापन)
- (168) श्री राजेश रंजन का रिक्शा चालक और सड़क किनारे बैठनेवाले मैकेनिक (आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता) विधेयक, 2015
- (169) डॉ. उदित राज का वर्षाजल (अनिवार्य संचयन) विधेयक, 2015
- (170) श्री पी.पी. चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
- (171) श्री पी.पी. चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
- (172) श्री पी.पी. चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)
- (173) श्री पी.पी. चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 324क का अंतःस्थापन)
- (174) श्री अर्जुन मेघवाल का राजस्थान उच्च न्यायालय (बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015

- (175) श्री राकेश सिंह का भारत का उच्चतम न्यायालय (जबलपुर में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (176) श्री विनोद कुमार बोड़नापल्ली का तेलंगाना राज्य (विशेष श्रेणी दर्जा और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2015
- (177) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन का अविवाहित जनजातीय महिलाएं (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2015
- (178) डॉ. भोला सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 58 का संशोधन, आदि)
- (179) डॉ. भोला सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 275क और 371ट का संशोधन)
- (180) डॉ. भोला सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 31 का अंतःस्थापन)
- (181) श्री फिरोज़ वरूण गांधी का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2015 (नई धारा 17क का अंतःस्थापन)
- (182) श्री फिरोज़ वरूण गांधी का आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 4 का संशोधन, आदि)
- (183) श्री राजीब सातव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 340 का प्रतिस्थापन)
- (184) श्री विंसेंट एच. पाला का संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 (छठी अनुसूची का संशोधन)
- (185) श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संसद सदस्य का संविधान संशोधन विधेयक, 2015 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
- (186) श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी (अनिवार्य राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया प्रशिक्षण) विधेयक, 2015
- (187) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन का नस्लीय भेदभाव प्रतिषेध विधेयक, 2015
- (188) श्री रवींद्र कुमार जेना का साक्षी (पहचान का संरक्षण) विधेयक, 2015
- (189) श्री रवींद्र कुमार जेना का राष्ट्रीय सड़क परिवहन सुरक्षा और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015
- (190) श्री पी. करुणाकरण का कैंसर रोगी (निःशुल्क चिकित्सीय उपचार) विधेयक, 2015
- (191) श्री महेश गिरी का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (192) श्री जर्नादन सिंह 'सीग्रीवाल' का गरीब और निराश्रित कृषि कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2015
- (193) श्री जर्नादन सिंह 'सीग्रीवाल' का विधवा (संरक्षण और भरण-पोषण) विधेयक, 2015
- (194) श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर का न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 3 आदि का संशोधन)
- (195) श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 12 का संशोधन)

- (196) श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर का संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (पैरा 3 का संशोधन)
- (197) श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)
- (198) श्रीमती जयश्रीबेन के. पटेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
- (199) श्रीमती जयश्रीबेन के. पटेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंतःस्थापन)
- (200) श्रीमती जयश्रीबेन के. पटेल का भारत का उच्चतम न्यायालय (अहमदाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (201) श्रीमती सुप्रिया सुले का अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण विधेयक, 2015
- (202) श्रीमती सुप्रिया सुले का पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2015 (नए अध्याय IIIक का अंतःस्थापन)
- (203) श्रीमती सुप्रिया सुले का शैक्षणिक संस्थाओं में वित्तीय शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2015
- (204) श्रीमती सुप्रिया सुले का मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अध्याय IIIक का अंतःस्थापन)
- (205) श्री ओम प्रकाश यादव का मानसिक विमन्दिता बाल (कल्याण) विधेयक, 2015
- (206) श्री ओम प्रकाश यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 16क और 16कक का अंतःस्थापन)
- (207) श्रीमती पूनम महाजन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 331 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)
- (208) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 26 का संशोधन)
- (209) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 31 का संशोधन)
- (210) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 130 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)
- (211) डॉ. शशि थरूर का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
- (212) डॉ. शशि थरूर का शरणस्थल विधेयक, 2015
- (213) श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी का नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2015

- (214) श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 77क का अंतःस्थापन, आदि)
- (215) डॉ. काकोली घोष दस्तीदार का ट्रांसजेंडर व्यक्ति (कल्याण) विधेयक, 2015
- (216) श्री राजू शेटी का अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2015 (धारा 2 का संशोधन)
- (217) श्री गोपाल चिनय्या शेटी का निराश्रित और उपेक्षित महिला (कल्याण) विधेयक, 2015
- (218) श्री गोपाल चिनय्या शेटी, का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 300ख का प्रतिस्थापन)
- (219) श्री गोपाल चिनय्या शेटी का जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2015
- (220) श्री जयदेव गल्ला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 21क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
- (221) डॉ. उदित राज का सविता अंबेडकर राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2015
- (222) डॉ. उदित राज का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं विधेयक, 2015
- (223) डॉ. उदित राज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 124 और 216 का संशोधन)
- (224) श्री चंद्रकांत खैरे का भारत का उच्चतम न्यायालय (औरंगाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (225) श्री ए.टी. नाना पाटील का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवाओं का नियमितीकरण और अन्य प्रसुविधाएं) विधेयक, 2015
- (226) श्री राहुल शेवाले का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 30 का संशोधन)
- (227) श्री राहुल शेवाले का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 2, आदि का संशोधन)
- (228) श्री राहुल शेवाले का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति (पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक, 2015
- (229) श्री पी.पी. चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 338 और 340 का संशोधन)
- (230) श्री पी.पी. चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)
- (231) श्री पी.पी. चौधरी का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 1 का संशोधन, आदि)
- (232) श्री पी.पी. चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (नए अनुच्छेद 123क का अंतःस्थापन)
- (233) श्री महेश गिरी का कारीगर (कल्याण और संवर्धन) विधेयक, 2015
- (234) श्री महेश गिरी का राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 6 का संशोधन)

- (235) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 341 और 342 का संशोधन)
- (236) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 130 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)
- (237) श्री निशिकांत दुबे का झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (238) श्री निशिकांत दुबे का उपभोक्ता वस्तु (निःशुल्क वापसी का अधिकार) विधेयक, 2015
- (239) श्री रवींद्र कुमार जेना का शरणार्थी और शरणस्थली की तलाश करने वालों का संरक्षण विधेयक, 2015
- (240) श्री निनांग ईरींग का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुसूची का संशोधन)
- (241) श्री राजेश रंजन का कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र विनियमन विधेयक, 2015
- (242) श्री राजेश रंजन का मूल्य वृद्धि नियंत्रण विधेयक, 2015
- (243) श्री राजेश रंजन का उपेक्षित और पीड़ाग्रस्त विधवाएं (सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2015
- (244) श्री राजेश रंजन का व्यथित और उपेक्षित विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं (भरणपोषण, समर्थन और कल्याण) विधेयक, 2015
- (245) श्री भर्तृहरि महताब का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 28 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
- (246) श्री भर्तृहरि महताब का धर्म संपरिवर्तन (प्रतिषेध) विधेयक, 2015
- (247) श्री देवजी एम. पटेल का विशेष पेयजल एवं सिंचाई विकास निधि (डार्क जोन क्षेत्रों के लिए) विधेयक, 2015
- (248) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे का बंबई उच्च न्यायालय (पुणे में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (249) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे का वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2015 (धारा 2 का संशोधन)
- (250) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) विधेयक, 2015 (अनुसूची का संशोधन)
- (251) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (नई धारा 61ख का अंतःस्थापन)
- (252) श्रीमती पूनम महाजन का यौन कर्मी (पुनर्वासन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2015
- (253) श्री विनायक भाऊराव राऊत का परंपरागत मछुआरे (सामाजिक-आर्थिक संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2015
- (254) श्री सुनील कुमार सिंह का विधवा कल्याण विधेयक, 2015

- (255) श्री सुनील कुमार सिंह का बृहत परियोजनाएं (समय पर पूर्ण करना) विधेयक, 2015
- (256) श्री सुनील कुमार सिंह का झारखंड परमाणु प्राधिकरण विधेयक, 2015
- (257) श्री सुनील कुमार सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
- (258) श्रीमती रंजीत रंजन का संकटग्रस्त वरिष्ठ खिलाड़ी (कल्याण) विधेयक, 2015
- (259) श्रीमती रंजीत रंजन का विद्यालयों में खेलों के माध्यम से बालकों की अनिवार्य शारीरिक स्वस्थता और खेल संबंधी अवसंरचना का विकास विधेयक, 2015
- (260) श्रीमती रंजीत रंजन का संकटग्रस्त किसान (विशेष सुविधाएं संरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2015
- (261) डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट विधेयक, 2015
- (262) डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 3 का संशोधन)
- (263) डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का सौर ऊर्जा (विकास और अनिवार्य प्रयोग) विधेयक, 2015
- (264) श्री केसिनेनी श्रीनिवास का कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 4 और 9 का संशोधन)
- (265) श्री केसिनेनी श्रीनिवास का पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 73 आदि का संशोधन)
- (266) श्री ओम बिरला का साक्षी संरक्षण विधेयक, 2015
- (267) श्री दुष्यंत चौटाला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 84 का संशोधन)
- (268) श्री दुष्यंत चौटाला का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 2 का संशोधन आदि)
- (269) श्री दुष्यंत चौटाला का हिंदु उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
- (270) श्री दुष्यंत चौटाला का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 358 का संशोधन)
- (271) श्री फिरोज वरुण गांधी का राष्ट्रीय शरणस्थल विधेयक, 2015
- (272) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (273) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का सूखा नियंत्रण और सूखा प्रवण क्षेत्रों के किसानों का संरक्षण विधेयक, 2015
- (274) श्री राजीव सातव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन)
- (275) डॉ. मनोज राजोरिया का चिकित्सीय परामर्श एवं अन्य सेवाएं (शुल्क का यौक्तिकीकरण) विधेयक, 2015
- (276) श्री एम.के. राघवन का एयरलाइंस (किराया संरचना) विधेयक, 2015
- (277) श्री एम.के. राघवन का रेल सुरक्षा बल विधेयक, 2015
- (278) श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य का वित्तीय सहायता का उपबंध (अस्पतालों के उन्नयन के लिए) विधेयक, 2015
- (279) श्री एम.के. राघवन का नदियों की सफाई (वित्तीय सहायता का उपबंध) विधेयक, 2015

- (280) श्री चंद्रकांत खैरे का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 3 और 65 का संशोधन)
- (281) श्री चंद्रकांत खैरे का न्यूनतम मजदूरी का संदाय (कर्मकारों और अन्य के लिए) विधेयक, 2015
- (282) श्री चंद्रकांत खैरे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 371 का संशोधन)
- (283) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का मद्य-निषेध विधेयक, 2015
- (284) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का रिहायशी स्कूल (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए) विधेयक, 2015
- (285) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2015
- (286) श्री अर्जुन राम मेघवाल का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुसूची I का संशोधन)
- (287) श्री अर्जुन राम मेघवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)
- (288) श्री अर्जुन राम मेघवाल का हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 31 का संशोधन)
- (289) श्री अर्जुन राम मेघवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 338 का संशोधन)
- (290) श्री जगदंबिका पाल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 309 का लोप)
- (291) श्री जगदंबिका पाल का वर्षाजल (आज्ञापक संचयन और संग्रहण) विधेयक, 2015

राज्य सभा

- (1) श्री नरेंद्र कुमार कश्यप का शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्यतः नैतिक शिक्षा प्रदान करने संबंधी विधेयक, 2014
- (2) श्री नरेंद्र कुमार कश्यप का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुच्छेद 1क का संशोधन)
- (3) श्री विवेक गुप्ता का भिक्षुक (सशक्तीकरण, कौशल विकास एवं पुनर्वास) विधेयक, 2014
- (4) श्री विवेक गुप्ता का नवीकरणीय ऊर्जा का अनिवार्य संवर्धन, उपयोग आपूर्ति और अभिगम विधेयक, 2014
- (5) डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन का हितों के टकाराव का निवारण और प्रबंधन विधेयक, 2015
- (6) श्री राजकुमार धूत का गाय और अन्य दुधारू पशु (वध, निर्ममता का प्रतिषेध और अन्य उपबंध) विधेयक, 2015
- (7) श्री राजकुमार धूत का निर्धन, अनाथ, आवारा और अन्य निराश्रित बालक (दुर्व्यवहार का निवारण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2015

- (8) श्री राजकुमार धूत का सूखा प्रभावित और सूखा प्रबण क्षेत्र (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015
- (9) श्री मनसुख एल. मांडविया का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 58 का संशोधन)
- (10) श्री मनसुख एल. मांडविया का सार्वजनिक टेलीफोन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2015
- (11) श्री विवेक गुप्ता का उच्चतम न्यायालय (कोलकाता में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015
- (12) श्री हुसैन दलवाई का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015
- (13) श्री पी.एल. पुनिया का अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अनिवार्य अधिसूचना और आरक्षित रिक्तियों को भरा जाना) विधेयक, 2015
- (14) श्री पी.एल. पुनिया का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बालक (शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्थानों का आरक्षण और अनिवार्य प्रदर्शन) विधेयक, 2015
- (15) श्री पी.एल. पुनिया का अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उप-योजना (बजटीय आबंटन और विशेष योजनाएं) विधेयक, 2015
- (16) श्री अविनाश राय खन्ना का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015
- (17) श्री अविनाश राय खन्ना का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक 2015
- (18) श्रीमती रेणुका चौधरी का कृषक और कृषि कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2015
- (19) डॉ. भालचंद्र मुण्गोकर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
- (20) डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाचचीयप्पन का इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक, 2015
- (21) श्री शांताराम नायक का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015
- (22) श्री मनसुख एल. मांडविया का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 348 का संशोधन)
- (23) श्री मनसुख एल. मांडविया का निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2015
- (24) श्री मनसुख एल. मांडविया का मिथ्या फोन कॉल हेतु दूर संचार प्रणाली के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2015
- (25) श्री विजय जवाहरलाल दर्डा का इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (संभलाई और निपटान) विधेयक, 2015
- (26) श्री विजय जवाहरलाल दर्डा का उपभोक्ता वस्तु मूल्य निर्धारण बोर्ड विधेयक, 2015
- (27) श्री विजय जवाहरलाल दर्डा का जिम्नेजियम और फिटनेस सेंटर्स (विनियमन) विधेयक, 2015
- (28) डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015
- (29) डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी का उच्चतम न्यायालय (विशाखापत्तनम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015

- (30) डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी का गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे माता-पिता की बालिकाओं को वित्तीय सहायता विधेयक, 2015
- (31) श्री विवेक गुप्ता का तकनीकी उपकरणों की लत का निवारण विधेयक, 2015
- (32) श्री विवेक गुप्ता का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
- (33) श्री विजय गोयल का लॉटरी प्रतिषेध विधेयक, 2015
- (34) श्री बी.के. हरिप्रसाद का मलिन बस्ती और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र (मूलभूत सुविधाएं और निर्बाधन) विधेयक, 2015
- (35) श्री अविनाश राय खन्ना का सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक, 2015
- (36) श्री प्रभात झा का बाल विकास कार्यक्रम समन्वय अभिकरण विधेयक, 2015
- (37) श्री प्रभात झा का धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण पर प्रतिबंध विधेयक, 2015
- (38) श्रीमती कानीमोड़ी का मृत्यु दंड (उत्सादन) विधेयक, 2015
- (39) श्री के.के. रागेश का स्ववित्तपोषित व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2015
- (40) श्री तिरूची शिवा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुच्छेद 324 का संशोधन)
- (41) श्री विवेक गुप्ता का उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनार्यों के लिए आधारभूत सुविधाएं विधेयक, 2015
- (42) श्री अनुभव मोहंती का महिला (विनिश्चय करने में समान भागीदारी) विधेयक, 2015
- (43) श्री अनुभव मोहंती का भिक्षावृत्ति उत्सादन और भिखारियों का पुनर्वास विधेयक, 2015
- (44) श्री राजकुमार धूत का लू और शीत लहर के कारण होने वाली मौतों का निवारण विधेयक, 2015
- (45) श्री राजकुमार धूत का गुमशुदा बालक (शीघ्र खोज और पुनर्मिलन) विधेयक, 2015
- (46) श्री राजकुमार धूत का एसिड हमले, लैंगिक उत्पीड़न और दुर्व्यापार की शिकार बालिकाएं तथा महिलाएं (प्रतिकर और पुनर्वास) विधेयक, 2015

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगठन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30 होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय

को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में अंतःसत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंतःसत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंतःसत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद्द (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंतःसत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यतः उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

- (i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
- (ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
- (iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पत्तों पर भेजे जाएंगे और अन्तः सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पत्तों के साथ-साथ स्थायी पत्तों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

परामर्शदात्री समिति पर नामांकन

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

1.
2.
3.

हस्ताक्षर

नाम

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

दूरभाष तथा फैक्स नं.

(क) दिल्ली का पता:

(ख) स्थायी पता:

सेवा में

निदेशक,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली।

16वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

1	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3	नागर विमानन मंत्रालय
4	कोयला मंत्रालय
5	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
8	रक्षा मंत्रालय
9	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
10	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
11	विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
12	वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
13	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
15	गृह मंत्रालय
16	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
17	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
18	श्रम और रोजगार मंत्रालय
19	विधि और न्याय मंत्रालय
20	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
21	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
22	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
23	रेल मंत्रालय
24	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय
25	ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
26	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
27	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

28	इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय
29	वस्त्र मंत्रालय
30	पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय
31	जनजातीय कार्य मंत्रालय
32	शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
33	जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
34	महिला और बाल विकास मंत्रालय
35	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	06
बैठकों की तारीखें	17.02.2015, 30.04.2015, 03.07.2015, 06.08.2015, 06.11.2015 (वाराणसी, उत्तर प्रदेश), 16.12.2015
चर्चा किए गए विषय	कृषि के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति विस्तार; कृषि विपणन; मृदा स्वास्थ्य कार्ड; परंपरागत कृषि विकास योजना; एक्वाकल्चर विकास; राष्ट्रीय कृषि बाजार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	07.04.2015, 23.04.2015, 09.12.2015, 29.12.2015
चर्चा किए गए विषय	पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र तथा प्लास्टिक पार्क; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार; नाईपर और जन औषधि; केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (साइपेट)
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	28.04.2015, 09.10.2015 (भुवनेश्वर, ओडिशा), 30.11.2015
चर्चा किए गए विषय	नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा उपाय; विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दे; नागरिक उड्डयन नीति मसौदा
कोयला मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	20.02.2015, 10.08.2015, 20.11.2015, 23.12.2015
चर्चा किए गए विषय	वर्ष 2019-20 तक कोल इंडिया लिमिटेड का एक अरब टन का लक्ष्य; श्रम सुरक्षा और स्वास्थ्य; नेवेली लिग्नाइट निगम के निष्पादन की समीक्षा; कोयला चोरी की रोकथाम
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	20.02.2015, 21.05.2015, 06.11.2015 (गोवा), 21.12.2015
चर्चा किए गए विषय	व्यापार में सेवाएं - नीति और संभावनाएं; व्यापार करने में सुविधा; विदेश व्यापार नीति 2015-20; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियां और निष्पादन
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1
बैठकों की तारीखें	06.11.2015
चर्चा किए गए विषय	मशीन से मशीन संचार

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	12-13.02.2015 (गुवाहाटी, असम), 11.05.2015, 10.12.2015
चर्चा किए गए विषय	केंद्रीय भांडागार निगम का कार्यचालन; आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण; केंद्रीय भांडागार निगम का कार्यचालन
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	30.01.2015, 27.04.2015, 20.09.2015 (गोवा), 17.12.2015
चर्चा किए गए विषय	रक्षा उत्पादन इकाइयों में विविधीकरण अवसर; आयुध निर्माणियों की भूमिका और कार्य; छावनी बोर्डों का कार्यचालन और छावनी क्षेत्रों की समस्याएं; रक्षा खरीद प्रक्रिया, 2013 और रक्षा खरीद मैनुअल, 2016
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	13.03.2015, 03.08.2015, 24.11.2015
चर्चा किए गए विषय	सामान्य चर्चा; उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास संबंधी मुद्दों पर उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय का हस्तक्षेप; सामान्य चर्चा
पर्यावरण और वन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	04.01.2015 (बांदीपुर, कर्नाटक), 27.04.2015, 07.08.2015, 18.12.2015
चर्चा किए गए विषय	हाथी परियोजना; जलवायु परिवर्तन; कंपा (प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण); सीओपी 21
विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	15.06.2015, 08.10.2015, 02.11.2015, 21.11.2015
चर्चा किए गए विषय	(i) नर्सों के संबंध में हाल में लिए गए निर्णय की तर्ज पर राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रवासी रोजगार भर्ती को प्रोत्साहित करना; (ii) भारतीय श्रमिकों के प्रवासी रोजगार के लिए भर्ती एजेंसियों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली और उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता; (iii) खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की समस्याएं और कल्याणकारी उपाय; प्रवासी रोजगार से संबंधित मुद्दों और भर्ती एजेंटों की भूमिका; प्रधानमंत्री द्वारा हाल में किए गए रूस और मध्य एशियाई देशों, संयुक्त अरब अमीरात, आयरलैंड, संयुक्त राष्ट्र और अमरीका के विदेश दौड़ों का परिणाम; नेपाल में हालात
वित्त मंत्रालय और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	09.02.2015, 13.07.2015, 18.12.2015
चर्चा किए गए विषय	बजट के लिए सुझाव; प्रधानमंत्री की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं; अर्थव्यवस्था की स्थिति

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	11.02.2015, 30.04.2015, 19.11.2015, 23.12.2015
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम); बुनियादी ढांचा विकास योजना - बूचड़खानों के आधुनिकीकरण की स्थापना; भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी); मेगा फूड पार्क
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	03.06.2015, 12.08.2015, 06.11.2015
चर्चा किए गए विषय	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी); वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम; कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों और आघात के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	17.02.2015, 13.07.2015 (गोवा), 06.11.2015
चर्चा किए गए विषय	आगमन पर आईवीएफआरटी और पर्यटक वीजा; तटीय सुरक्षा; मानव तस्करी तथा महिलाओं की सुरक्षा और बचाव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	06.04.2015, 13.08.2015, 07.11.2015, 21.12.2015
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय शिक्षा नीति; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में सुधार; स्कूलों में पारदर्शिता और सुशासन के लिए डिजिटल पहल; ज्ञान (जीआईएएन)
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	13.02.2015, 08.05.2015, 07.08.2015, 17.12.2015
चर्चा किए गए विषय	भारत फिल्मों के लिए एक सुलभ शक्ति के रूप में; सोशल मीडिया की भूमिका को काम में लाना; ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन समाचार; एफएम रेडियो (फेज-III और IV) - आगेके लिए रोड मैप
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	06.04.2015, 14.07.2015, 14.10.2015
चर्चा किए गए विषय	असंगठित मजदूरों का कल्याण; ईपीएफओ; सीएलसी, श्रमयेव जयते पोर्टल और बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 का कार्यान्वयन
विधि और न्याय मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	20.05.2015, 15.12.2015
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय वाद नीति, 2015 पर प्रस्तुतीकरण; एनएएलएसए का कार्यचालन

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	10.09.2015, 05.11.2015, 03.12.2015
चर्चा किए गए विषय	अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की नई पहलें; अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम; एक सलाहकार निकाय से एक नियामक संस्था के रूप में अपने नए अवतार में केन्द्रीय वक्फ परिषद की भूमिका
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	21.09.2015 (मुंबई, महाराष्ट्र)
चर्चा किए गए विषय	एक प्रतिस्पर्धी माहौल में विपणन
विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	05
बैठकों की तारीखें	20.02.2015, 03.08.2015, 04.08.2015, 20.11.2015, 22.12.2015
चर्चा किए गए विषय	आरईसी; पवन ऊर्जा; ऊर्जा दक्षता सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल); भारत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल); (i) पावर वित्त कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी); (ii) सौर पार्क योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	08.05.2015, 09.07.2015 (श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर), 23.12.2015
चर्चा किए गए विषय	भारतीय रेल में स्वच्छ भारत मिशन; जम्मू और कश्मीर रेल लिंक सहित राष्ट्रीय परियोजनाएं; रेलवे के सामाजिक सेवा दायित्व
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	05.02.2015, 09.04.2015, 14.05.2015, 11.08.2015
चर्चा किए गए विषय	मोटर यान अधिनियम (सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2014) तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग विकास; सड़क परिवहन के क्षेत्र में नई सूचना प्रौद्योगिकी पहल; सागरमाला
ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	05
बैठकों की तारीखें	29.04.2015, 16.07.2015, 06.08.2015, 26.10.2015, 18.11.2015 (हैदराबाद, आंध्र प्रदेश)
चर्चा किए गए विषय	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू - जीकेवाई); महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई); 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदानों के संदर्भ में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी); (i) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के (मुख्यतः सूखा प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यों की समीक्षा और (ii) ग्राम पंचायत विकास योजना

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	22.05.2015, 09.12.2015
चर्चा किए गए विषय	(i) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भूमिका और कार्य; (ii) राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ); और (iii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई); देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यचालन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	07.01.2015, 24.04.2015, 05.08.2015, 06.11.2015 (देहरादून, उत्तराखंड)
चर्चा किए गए विषय	(I) (i) शराब और मादक द्रव्यों (ड्रग्स) के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए कदम; (ii) गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध घुमंतू जनजातियों का कल्याण; (II) (i) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना; (ii) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा; और (iii) राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना; (III) विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप); (IV) पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति सहित कल्याण योजनाएं,
इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	07.07.2015 (बेंगलूरु, कर्नाटक), 23.11.2015
चर्चा किए गए विषय	(I) लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (ii) अन्वेषण को बढ़ाना; (II) (i) खनन क्षेत्र में सुधार (ii) इस्पात क्षेत्र में चुनौतियां
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	09.02.2015 (मैसूर, कर्नाटक), 22.04.2015, 12.08.2015, 02.12.2015
चर्चा किए गए विषय	रेशम और रेशम उत्पादन; पोषाक एवं परिधान और एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस); जूट; कपास और रेशम
पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	10.02.2015 (कच्छ, गुजरात), 09.11.2015
चर्चा किए गए विषय	(I) पर्यटन पर सामान्य अवलोकन और संस्कृति पर सामान्य अवलोकन; (II) (i) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (ii) स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	11.03.2015, 03.09.2015, 16.10.2015, 17.12.2015
चर्चा किए गए विषय	सामान्य चर्चा; वनबंधु कल्याण योजना; राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव - वनज, 2016; कौशल विकास और आदिवासी युवाओं की नियोजनीयता

शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	11.02.2015, 10.06.2015
चर्चा किए गए विषय	शहरी विकास संबंधी मुद्दे; आवास और शहरी गरीबी उपशमन
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	08.05.2015, 31.08.2015, (खजुराहो, मध्य प्रदेश), 05.11.2015, 22.12.2015
चर्चा किए गए विषय	भूजल में कमी; पीएमकेएसवाई - सीएडी - छिड़काव यंत्र और ड्रिप का प्रचार; वित्तीय मामले; गंगा की सफाई
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	28.04.2015, 17.07.2015, 19.11.2015
चर्चा किए गए विषय	महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण; सभी जिलों में महिला एसपीओ; विशेष महिला पुलिस स्वयंसेवक
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	12.03.2015
चर्चा किए गए विषय	खेलों पर सामान्य चर्चा

**विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों,
परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन**

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	डाक टिकट सलाहकार समिति (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	श्री अश्विनी कुमार चौबे	श्री अनिल माधव दवे	27.01.2015
2.	भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति ओडिशा आंध्र प्रदेश	श्री नागेंद्र कुमार प्रधान	श्रीमती गुंडू सुधारानी	17.02.2015
3.	सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	श्री राकेश सिंह श्री किंजारापू राम मोहन नायडु श्री रमेश पोखरियाल निशंक श्री विसेंट एच. पाला	श्री भूपिंदर यादव श्री बसावाराज पाटिल	13.04.2015
4.	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	श्री परेश रावल	श्री मनसुखलाल मांडविया	13.04.2015
5.	क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग) चैन्नई मदुरै कोलकाता शिमला	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू श्रीमती वसंथी एम. श्री सुदीप बंदोपाध्याय श्री अनुराग सिंह ठाकुर		13.04.2015

गुवाहाटी धनबाद मुजफ्फरपुर हुबली कानपुर पणजी मुंबई चंडीगढ़ वाराणसी नई दिल्ली जबलपुर मेरठ पटना भोपाल अहमदाबाद जयपुर सूरत जोधपुर इंदौर इलाहाबाद बंगलौर राजकोट बीकानेर ग्वालियर नागपुर त्रिवेंद्रम रोहतक लुधियाना शिलोंग पुणे अमृतसर नासिक ठाणे गुंटूर हैदराबाद तिरुपति जालंधर	श्री राम प्रसाद सरमा श्री निशिकांत दुबे डा. संजय जायसवाल श्री बी. श्रीरामुलु श्री भैरों प्रसाद मिश्रा श्री रमेश सी. जिगाजीनागी श्रीमती पूनम महाजन श्रीमती किरण खेर श्री विरेंद्र सिंह श्रीमती मीनाक्षी लेखी श्री राकेश सिंह श्री राजेंद्र अग्रवाल श्री सुशील कुमार सिंह श्री उदय प्रताप सिंह श्री लीलाधरभाई के. वघेला श्री ओम बिरला श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश श्री देवजी एम. पटेल श्री मनोहर उंत्वाल श्री केशव प्रसाद मौर्य श्री पी.सी. मोहन श्री राजेशभाई एन. चूडासमा श्री अर्जुन राम मेघवाल डॉ. भागीरथ प्रसाद श्री नानाभाऊ एफ. पटोले श्री जोस के. मनी श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा श्री रवनीत सिंह श्री विसेंट एच. पाला श्रीमती सुप्रिया एस. सुले श्री शेर सिंह घुबाया श्री चंद्रकांत बी. खेरे श्री राजन बी. विचारे श्री जयदेव गल्ला श्रीमती कविता कल्वाकुंतला डा. वी. प्रसादराव वेलगापल्ली	श्री अविनाश राय खन्ना
--	---	-----------------------

	विशाखापट्टनम रायपुर कोयंबटूर मैसूर भुवनेश्वर बरोड़ा पटियाला उदयपुर कटक पंचकुला विजयवाड़ा दुर्गापुर बरेली कोजिकोड़ (कालीकट) कोल्हापुर लखनऊ कोचिन (कोच्ची) तिरुचिरापल्ली		श्री सी.एम. रमेश श्री रनविजय सिंह जुदेव श्री एस. मुथुकुरूपन श्री रंगासाई रामाकृष्णन श्री दिलीप कुमार टिरकी श्री शंकरभाई एन. वेगाड श्री सुखदेव सिंह ढींडसा श्री नारायण लाल पंछारिया श्री अनुभव मोहंती कुमारी शैलजा श्रीमती रेणुका चौधरी श्री मो. नदिमुल हक श्री दर्शन सिंह यादव श्री जाँय अब्राहम श्री अजय संचेती श्री विनय कटियार श्री सी.पी. नारायणन डा. के.पी. रामालिंगम	
6.	मध्य रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री अनिल शिरोले श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल श्री रामदास सी. तडस श्री अरविंद गणपत सावंत श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले श्री गोपाल सी. शेटी श्री सदाशिव किसन लोखंडे	श्री अजय संचेती श्री राजीव शुक्ला श्री रामदास अठावले	14.04.2015
7.	पूर्वी रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री निशिकांत दुबे श्री जय प्रकाश नारायण यादव श्री मो. बदरूद्दोजा खान डा. (श्रीमती) काकोली घोष दस्तिकार श्री अधीर रंजन चौधरी डा. अनुपम हाजरा श्री दिनेश त्रिवेदी	श्री तपन कुमार सेन श्री डेरेक ओ ब्रायन श्री गुलाम रसूल बलयावी	14.04.2015
8.	पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री अजय निषाद श्री राम कुमार शर्मा कुशवाहा श्री सतीश चंद्र दुबे श्री बिरेंद्र कुमार चौधरी श्री छेदी पासवान	डा. सी.पी. ठाकुर श्रीमती कहकशां परवीन श्री आर.के. सिन्हा	14.01.2015

		श्री चिराग पासवान श्री हरी मांझी		
9.	पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री दिनेश कश्यप डा. हरि बाबू कंभपाती श्री किनजारापू राम मोहन नायडु श्री पिनाकी मिश्रा श्री सिद्धांत मोहापात्रा श्रीमती सकुंतला लागुरी श्रीमती गीता कोथापल्ली	श्री ए.वी. स्वामी श्रीमती तोथा सीथारामा लक्ष्मी श्री दिलिप कुमार तिरकी	14.04.2015
10.	उत्तर रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री राम स्वरूप शर्मा श्री रमेश पोखरियाल निशंक श्री राज कुमार सैनी श्री जुगल किशोर शर्मा श्री धर्मेन्द्र कुमार श्री संतोख सिंह चौधरी प्रो. साधू सिंह	श्री शादी लाल बत्रा श्री शमशेर सिंह मनहास श्री अविनाश राय खन्ना	14.04.2015
11.	उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री जनक राम श्री ओम प्रकाश यादव श्री भरत सिंह श्री दददन मिश्रा श्री हरि नारायण राजभर श्री धर्मेन्द्र यादव श्री कमलेश पासवान	श्री विनय कटियार श्री सतीश चंद्र मिश्रा श्री अरविंद कुमार सिंह	14.04.2015
12.	उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री अशोक कुमार धोरे श्री भैरों प्रसाद मिश्रा श्री छोटेलाल श्री बाबूलाल चौधरी श्री अनुप्रिया पटेल श्री अनूप मिश्रा श्री देवेन्द्र (उर्फ) भोले सिंह	श्री प्रभात झा श्री आलोक तिवारी श्री सलीम अंसारी	14.04.2015
13.	उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री रामेश्वर तेली श्रीमती बिजोय चक्रवर्ती मोलाना बदरुद्दीन अजमल श्री कामाख्या प्रसाद तासा श्री राम प्रसाद सरमा श्रीमती सुष्मिता देव श्री राजेन गोहेन	श्री खेकिहो झिमोमी श्री हिशे लाचुंगपा श्री रोनार्ड सापा तलाऊ	14.04.2015

14.	उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री धरमबीर श्री चांद नाथ योगी श्री हरीश चंद्र मीना श्री हरिओम सिंह राठौर श्री मानशंकर निनामा श्री दुष्यंत चौटाला श्रीमती संतोष अहलावत	श्री राम नारायण दुदी श्री नारायण लाल पंचारिया श्री अशक अली टाक	14.04.2015
15.	दक्षिण रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	डा. ए. सम्पत डा. जयकुमार जयवर्धन श्री के.सी. वेणुगोपाल श्री सी. महेंद्रन श्री के. गोपाल श्री एस. राजेंद्रन श्री पी.आर. सुंदरम	श्रीमती विजिला सत्यनाथ श्री ए. नवनीतकृष्णन डा. ई.एम.एस. नचियप्पन	14.04.2015
16.	दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	डा. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे श्री गोकाराजू गंगा राजू श्री ए.पी. जितेंदर रेड्डी श्री असादुद्दीन ओवेसी श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी श्री जयदेव गल्ला श्री मुरली मोहन मगंती	श्री मो. अली खान श्री सी.एम. रमेश डा. के. केशव राव	14.04.2015
17.	दक्षिण पूर्वी रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री बिद्युत बरन महतो श्री करिया मुंडा श्री लक्ष्मण गिलुवा डा. उमा सरेन श्री सुलतान अहमद श्रीमती संध्या राय श्री रबिंद्र कुमार जैना	श्री विवेक गुप्ता श्री परिमल नाथवानी श्री सीताराम येचुरी	14.04.2015
18.	दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री कमलभान सिंह मराबी श्री विक्रम उसेंदी श्री बोधसिंह भगत श्री अशोक माधवराव नेते श्री नानाभाऊ फाल्गुनराव पटोले श्री तमरध्वज साहू श्री कमल नाथ	डा. भूषण लाल जंगडे श्री रणविजय सिंह जूदेव श्रीमती मोहसिना किदवई	14.04.2015

19.	दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री संगन्ना अमरप्पा करादी डा. डी.के. सुरेश श्री शिवा कुमार उदासी श्री प्रहलाद वैकटेश जोशी श्री प्रताप सिम्हा श्री के. अशोक कुमार श्री सुरेश सी. अंगदी	श्री बी.के. हरि प्रसाद श्री अयनुर मंजूनथा श्री बसवराज पाटिल	14.04.2015
20.	पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश श्रीनाथूभाई गोमनभाई पटेल श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल श्री देवजीभाई जी. फतेपारा श्री दीपसिंह एस. राठौर एड. चिंतामन एन. वंगा श्री दिलिप सिंह भूरिया	डा. विजयलक्ष्मी साधो श्री मनसुख एल. मांडविया श्री डी.पी. त्रिपाठी	14.04.2015
21.	पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्रीय सलाहकार समिति	श्री जनार्धन मिश्रा श्री चंद्र प्रकाश जोशी श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया श्री ओम बिरला श्री सुभाष बहेरिया श्री आलोक संजर श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया	श्री मेघराज जैन श्री अनिल माधव दवे डा. विजयलक्ष्मी साधो	14.04.2015
22.	केंद्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)	श्री शरद त्रिपाठी श्री बैजयंत पांडा	श्री अनिल माधव दवे	05.05.2015
23.	लाईटहाऊस के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति (पोत परिवहन मंत्रालय)	एड. (श्री) नरेंद्र केशव सवाईकर	श्री अजय संचेती	27.10.2015

परिशिष्ट-11
(देखें पैरा 12.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों (एच.एस.एस.) पर संसद सदस्यों का
नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	श्री एस.पी.वाई रेड्डी डा. मनोज रजोरिया	डा. सत्यनारायण जटिया श्री अलिक तिवारी	27.01.2015
2.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	श्री नबा कुमार सरनीया श्री शिवकुमार चनबसप्पा उदासी	श्री रणविजय सिंह जूदेव श्री मो. अली खान	27.01.2015
3.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	श्री ओम बिरला श्री भगवंत मान	श्री प्रभात झा श्रीमती वंदना चव्हाण	27.01.2015
4.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	श्रीमती पूनमबेन एच. माडम श्री अरविंद गणपत सावंत	श्री विजय गोयल श्री सलीम अंसारी	27.01.2015
5.	रेल मंत्रालय	श्री अरूण कुमार श्री हरीश द्विवेदी	श्री नारायण लाल पंचारिया श्री परिमल नाथवानी	27.01.2015
6.	कोयला मंत्रालय	श्री नित्यानंद राय श्री विजयसिंह मोहिते पाटिल	श्री मेघराज जैन श्री अनिल देसाई	27.01.2015
7.	नागर विमानन मंत्रालय	---	श्री राम नारायण दुदी	27.01.2015
8.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	श्री अंशुल वर्मा श्रीमती गीता कोथापल्ली	श्री भूपेंद्र यादव श्री जावेद अली खान	20.04.2015
9.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	श्री थांगसो बाइटे श्री बी. श्रीरामुलु	श्री बसावाराज पाटिल श्री के.सी. त्यागी	20.04.2015
10.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	डा. प्रीतम जी. मुंडे श्री गौरव गोगोई	श्री महंत शंभूप्रसादजी तुंडिया श्री अरविंद कुमार सिंह	20.04.2015
11.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	श्री विनोद कुमार सोनकर श्री कौशलेन्द्र कुमार	श्री विजय गोयल श्री जॉय अब्राहम	20.04.2015
12.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	श्री महेश गिरी श्री अक्षय यादव	श्री शंकरभाई एन. वेगाड श्री रामचंद्र सिंह	20.04.2015

13.	संस्कृति मंत्रालय	श्री बोध सिंह भगत श्री जितेंद्र चौधरी	श्री दिलीपभाई पांडया श्री सी.एम. रमेश	20.04.2015
14.	गृह मंत्रालय	श्री रामचरण बोहरा श्री दिनेश त्रिवेदी	श्री तरुण विजय श्री प्रमोद तिवारी	20.04.2015
15.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री सुभाष पटेल श्री बी.वी. नायक	श्री चुनीभाई के. गोहेल कुमारी शैलजा	20.04.2015
16.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	श्री कंवर सिंह तंवर श्री शैलेश कुमार	डा. प्रभाकर कोरे श्री वीर सिंह	20.04.2015
17.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	श्री ओम प्रकाश यादव श्री कै. अमरिंदर सिंह	श्री अमर शंकर साबले श्री नरेश अग्रवाल	20.04.2015
18.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)	श्री रामदास सी. तडस डा. अनिरुद्ध संपत	श्री शमशेर सिंह मनहास श्री राजीव शुक्ल	20.04.2015
19.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	श्री भरत सिंह श्री एम.बी. राजेश	श्री भूषण लाल जंगडे श्री हुसैन दलवी	20.04.2015
20.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	---	श्री धीरज प्रसाद साहू	20.04.2015
21.	रेल मंत्रालय	---	श्री हुसैन दलवी	20.04.2015
22.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)	डा. कृष्ण प्रताप सिंह श्री पी. करुणाकरन	श्री आर.के. सिन्हा श्री राजीव शुक्ल	30.07.2015
23.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	श्रीमती रेखा अरुण वर्मा श्री शंकर प्रसाद दत्ता	श्री एम.जे. अकबर श्री जनार्दन द्विवेदी	30.07.2015
24.	पंचायती राज मंत्रालय	श्री रविंदर कुशवाहा श्री मो. सलीम	श्री अमर शंकर साबले श्री परवेज हाशमी	08.09.2015
25.	रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग)	---	श्री शमशेर सिंह मनहास	08.09.2015
26.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	श्री हरी ओम बिरला श्री मो. बदरुदुजा खान	श्री शमशेर सिंह मनहास श्री दर्शन सिंह यादव	27.10.2015

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये 50,000/- प्रतिमाह दिनांक 18.5.2009 से
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 1.10.2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01.01.2010 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 15,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 30,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंप्यूटर प्रशिक्षित होगा।
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 निःशुल्क कॉल। ट्रंक काल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल निःशुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देते हैं। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल निःशुल्क स्थानीय कॉलों के उपयोग करने के लिए किसी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्त कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

		<p>सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाइल आपरेटर द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल निःशुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाइल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।</p> <p>एक टेलीफोन पर ब्राडबैंड सुविधा भी इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाती है कि किराया रू.1500/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।</p>
5	आवास	<p>निःशुल्क किराए वाले फ्लैट (जिनमें होस्टल आवास शामिल है)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा।</p> <p>नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है।</p> <p>बिना किराए के फर्नीचर रुपये 60,000/- की आर्थिक सीमा तक स्थायी फर्नीचर और रुपये 15,000/- तक गैर-स्थायी फर्नीचर और मूल्यहास पर आधारित फर्नीचर की अतिरिक्त मदों के लिए किराया।</p> <p>प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की निःशुल्क धुलाई।</p> <p>संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाइल्स लगवाना।</p>
6.	पानी और बिजली	<p>प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाइट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति।</p> <p>अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा।</p>

		<p>यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के निःशुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी।</p> <p>सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।</p>
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 1.10.2010 से रूपये 4,00,000/- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू दर के ब्याज पर। इस धनराशि को 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर वापिस लिया जाएगा। यह अवधि संसद सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।
9.	पूर्व सांसदों को पेंशन	<p>(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन।</p> <p>(ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है।</p> <p>(iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।</p>
10.	संसद सदस्य का उसके कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उसकी पत्नी/पति/आश्रित को पेंशन।	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) अथवा आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
11.	यात्रा भत्ता	<p>रेल: एक प्रथम श्रेणी + एक द्वितीय श्रेणी का भाड़ा</p> <p>वायुयान: किसी भी एयरलाइन्स में एक और एक चौथाई वायुयान भाड़ा। नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा।</p> <p>स्टीमर : उच्चतम श्रेणी का एक और 3/5 भाड़ा (भोजन शामिल नहीं है)</p>

		<p>सड़क : (i) रुपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रुपये 120/- (iii) सड़क द्वारा यात्रा भत्ता जब स्थान मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रुपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।</p>
12.	यात्रा सुविधा	<p>(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एकजीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एकजीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मुख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष</p>


		में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
13	पूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधा	(1) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (2) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (3) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
14.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।
15.	पूर्व संसद सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
16.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) निःशुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के

	सुविधाएं	भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।
17.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा कर सकती/सकते हैं, और जब संसद सत्र चल रहा हो, तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति दी गई कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होंगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय करती/करता है तो रूपये 16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी गई है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा, जो भी कम हो, का हकदार होगा/होगी।
18.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	<p>(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रुपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता, बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रत्येक वर्ष के लिए रुपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन।</p> <p>(ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है।</p> <p>(iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी प्रकार की अधिकतम सीमा के बिना कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।</p>
2.	परिवार पेंशन	<p>दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।</p>
3.	यात्रा सुविधा	<p>(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं।</p> <p>(ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार।</p> <p>(iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा</p>

4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) निःशुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।



एक कदम स्वच्छता की ओर



Digital India
Power To Empower